18

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2020-21)' संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

अठारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

अठारहवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2020-21)' संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

8-2-2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
8-2-2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

Formatted: Font: (Default) Mangal, 16 pt, Bold, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), Complex Script Font: Mangal, 16 pt

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय I	प्रतिवेदन.....	
अध्याय II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.....	
अध्याय III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	
अध्याय IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	
अध्याय V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं.....	

अनुबंध

I. 25 नवंबर, 2020 को आयोजित समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

II. पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति)2020-21) की संरचना</u>

डॉथरूर शशि . - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पीचिदम्बरम .
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉनिशिकांत दुबे .
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ सुकान्त मजूमदार .
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पीनटराजन .आर .
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉजी रणजीत रेड्डी .

*15. श्री जयदेव गल्ला

16. श्री संजय सेठ
17. श्री चंदन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

#21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉअनिल अग्रवाल .
23. डॉसुभाष चन्द्र .
24. श्री वाईचौधरी .एस .

25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मोनदीमुल हक .
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. डॉनरेन्द्र जाधव .
31. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1. श्री वाई कांडपाल .एम . - संयुक्त सचिव
2. डॉ .सागरिका दास - अपर निदेशक
3. श्री अभिषेक शर्मा -सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* समाचार भाग – दो दिनांक 15.10.2020 के तहत 15.10.2020 से समिति में नामनिर्देशित

समाचार भाग – दो दिनांक 28.12.2020 के तहत 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. पांचवां प्रतिवेदन 13 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 8 जुलाई, 2020 को पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत की।

3. समिति की 25 नवंबर, 2020 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली;
4 फरवरी, 2021
15 माघ, 1942 (शक)

डॉ .शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों '(21-2020)पर समिति के पांचवें प्रतिवेदन)सत्रहवीं लोक सभा (में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. पांचवा प्रतिवेदन 13 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 17 टिप्पणियां/सिफारिशें थीं। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशें के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
पैरा सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 और 17

कुलः 12

अध्याय- दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती-
पैरा सं. शून्य

कुलः शून्य

अध्याय- तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है
पैरा सं. 8, 13, 14, 15 और 16

कुलः 05

अध्याय- चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं-:
पैरा सं. शून्य

कुलः शून्य

अध्याय- पांच

3. समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जायेगा। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

4. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार विमर्श करेगी।

डिजिटल लॉकर सिस्टम -प्रचार और उपयोग

(सिफारिश क्रम सं.8)

5. समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम या डिजिलॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन करने का एक मंच है जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग समाप्त हो जाता है। डिजिलॉकर ने डिजिटल वॉलेट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल प्रारूप में पहचान, शिक्षा, परिवहन, वित्त और नगरपालिका संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रदान करने का प्रयास किया है। जारीकर्ताओं के साथ संपर्क करने, उनके दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और अंतत :इन डिजिटल दस्तावेजों को नागरिकों के बीच वितरित करने में मदद करने के महती कार्य के परिणामस्वरूप 373करोड़ से अधिक प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता संभव हुई है। अगला कदम यह है कि नागरिकों को सेवाएं देते समय इन दस्तावेजों को सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाया जाए। डिजिटल लॉकर सिस्टम में 3.59करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और हर महीने औसतन 2करोड़ प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रति दिन औसतन 30, 000नागरिक साइन अप कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और जारी करने वाले विभागों में यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार, एमओआरटीएच द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण, एमओपीएनजी द्वारा जारी एलपीजी उपभोक्ता वाउचर, सीबीडीटी द्वारा पैन सत्यापन के रिकॉर्डस, लगभग 20राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट प्रमाणपत्र, लगभग चार राज्यों के भूमि से संबंधित अभिलेख शामिल हैं। मानव संसाधन विकास

मंत्रालय ने भी डिजिलॉकर को नेशनल एकेडेमिक डिपॉजिटरी)एनएडी (बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। तथापि, सेवा परिदान हेतु डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न नियामक तंत्रों के संबंधित अधिनियमों और नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। डिजिलॉकर प्रणाली के प्रसार में बाधा डालने के प्रमुख कारणों में केंद्रीय डिजिटलीकरण अधिदेश की कमी, डिजिटल दस्तावेज स्वीकार करने के लिए नियामक ढांचे में प्रावधानों का अभाव, सेवाएं प्रदान करने के विषय पर सरकारी विभागों में दस्तावेजों के डिजिटल उपयोग की प्रवृत्ति का अभाव तथा सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच डिजिलॉकर के उपयोग के प्रति जागरूकता का अभाव शामिल हैं। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने डिजिलॉकर से उपलब्ध दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए डिजिटल लॉकर नियम, 2016 तथा आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित इसके नियम 9क, 2017 के संशोधन जैसे कदम उठाए हैं। एमईआईटीवाई ने इस सुविधा के संवर्धन और प्रभावी उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम किया है। एमईआईटीवाई डिजिलॉकर आधारित डिजिटल दस्तावेज लेनदेन प्रणाली को अपनाने के लिए ट्राई, इरडा, सेबी, ईसीआई आदि जैसे नियामक प्राधिकरणों के साथ भी संपर्क में है, जो बाद में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगी।

समिति का मानना है कि डिजिलॉकर एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल है लेकिन आज तक केवल 3.59करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ ,इसकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो सका है। डिजिटल लॉकरों के अपनाए जाने को बढ़ावा देने और हर जगह मूल दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता को दूर करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति यह महसूस करती है कि नागरिकों को सेवाएं देते समय सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा डिजिटल दस्तावेजों की खपत को बढ़ावा देना अगली बड़ी चुनौती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिनियमों/नियमों में सुधार/संशोधन की आवश्यकता होगी। मंत्रालय की इस पहल से सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भंडारण और उपयोग समस्याओं से मुक्त हो

जाएगा। समिति एक डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण की सिफारिश करती है जो सभी क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति को बढ़ावा दे। नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर इस अपनाए जाने के लिए डिजिलॉकर का उचित प्रचार भी किया जाए। समिति को इस संबंध में उठाए गए पहलों से अवगत कराया जाए।

6. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"वर्तमान में डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर 3.87 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण किया है और 156 एजेंसियों ने 378 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए हैं।"

नीति स्तर की पहल

एमईआईटीवाई अपनी संबंधित प्रक्रियाओं में डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देने के लिए नीतिगत स्तर में बदलाव के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों) वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी, भारत निर्वाचन आयोग, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएचआरडी आदि(, भारतीय रिज़र्व बैंक, एसईबीआई) सेबी(, आईआरडीए, टीआरएआई और उद्योग जैसे विनियामक प्राधिकरणों के साथ संबंध रख रहा है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने सभी विनियमित संस्थाओं को अपने मास्टर कस्टमर केवाईसी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जो डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेज़ों को वैध आधिकारिक तौर पर सीन एंड वेरिफाइड) ओएसवी) केवाईसी दस्तावेज़ों के रूप में उपयोग करने के लिए हैं, जिन्हें आगे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने ग्राहक केवाईसी के एक भाग के रूप में डिजिलॉकर के माध्यम से संपादन की स्वीकृति के लिए पीएमएलए दिशानिर्देश में संशोधन को अधिसूचित किया है।

सेबी ने आरबीआई मास्टर केवाईसी निर्देशों की तर्ज पर एक अधिसूचना भी जारी की है।

इसके अलावा, डिजिलॉकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) यूजीसी) के सहयोग से एमईआईटीवाई के डिजिलॉकर टीम ने डिजीलॉकर के माध्यम से सभी केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पुरस्कारों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास शुरू किया है। यह डिजिटल रूप से जारी किए गए दस्तावेजों की उपयोग के लिए एक बहुत आवश्यक प्रेरणा प्रदान करेगा। यह छात्रों, पात्रता मूल्यांकन निकायों और सत्यापित संस्थाओं अर्थात बैंकों, नियोक्ताओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों को अनुमति देगा, सरकारी एजेंसियों को आगे प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए किसी भी आवश्यकता के बिना वास्तविक समय में शैक्षिक क्रेडेंशियल्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने का साधन है।

जागरूकता और संचार

35 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट लेवल ऑन-बोर्डिंग और जागरूकता कार्यशालाएं हुई हैं। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य राज्यों में वरिष्ठ नेतृत्व को डिजिलॉकर सक्षम सेवाओं के लाभ से अवगत कराना है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सक्षम सेवाओं के साथ-साथ उनकी ई-गवर्नेंस सेवाओं के भीतर डिजीलॉकर सेवाएं प्रदान करने के विभिन्न माध्यम हैं। इस संबंध में, 5 राज्यों)केरल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा (ने पहले ही सभी राज्य विभागों की प्रक्रियाओं में डिजीलॉकर सेवाओं को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, 14 राज्यों के परिवहन विभागों ने परिवहन नियमों के कार्यान्वयन के तहत डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को स्वीकार करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

डिजिलॉकर और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिलॉकर टीम नागरिक जुड़ाव में सक्रिय रूप से शामिल है। यह उत्पाद जागरूकता पैदा करने, डिजिलॉकर के उपयोग को बढ़ाने और सेवाओं के निरंतर सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करने के लिए लक्षित दर्शकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर सामग्री प्रकाशित करना, अनुयायियों को सुनना और उलझा देना और साइनअप दरों में वृद्धि करना शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका हम उपयोग)फिलहाल (कर रहे हैं वे हैं; फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन हैं।

डिजिलॉकर इकोसिस्टम को विस्तार करना

डिजिलॉकर टीम डिजिटल लॉकर सेवाओं की पेशकश करने के लिए अन्य सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को सक्षम करने के लिए अद्यतन डिजिटल लॉकर लाइसेंसिंग विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए यूआईडीएआई के साथ संपर्क में है। यह देश के भीतर डिजिटल लॉकर प्रणाली के पदचिह्न का विस्तार करने में मदद करेगा।

7. समिति ने नोट किया कि डिजिलॉकर एक बड़ी ई-गवर्नेंस पहल है किंतु इसके केवल 3.59 करोड़ वर्तमान प्रयोक्ता के साथ इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है और समिति ने महसूस किया कि नागरिकों को सेवा देते समय सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा डिजिटल दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ावा देना अगली बड़ी चुनौती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देने के लिए संगत अधिनियमों/नियमों में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करना होगा। समिति ने डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की सिफारिश की थी जो सभी क्षेत्रों में सेवा सुपुर्दगी के लिए डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देता है। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में बताया है कि वे डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध डिजिटल दस्तावेजों के प्रमाणन के उपयोग को अनुमति देने के लिए नीति स्तर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने हेतु अन्य

मंत्रालयों/विभागों से संपर्क कर रहे हैं। मंत्रालय ने डिजिटल लॉकरों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए डिजिलॉकर इकोसिस्टम के विस्तार हेतु अपने द्वारा उठाए जा रहे कई जागरुकता और संचार उपायों को भी रेखांकित किया है। समिति पाती है कि मंत्रालय राज्य स्तरीय परामर्श कर रहा है और सभी राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है जो कि सराहनीय है। किंतु केवल पांच राज्यों ने डिजिलॉकर सेवाओं को राज्यव्यापी स्वीकार्यता के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न पहलों के बावजूद डिजिलॉकर इकोस्टिम के संभावित लाभ और डिजिलॉकरों को वास्तविक रुप में स्वीकार करने और उपयोग करने के बीच अभी असमानता है। समिति महसूस करती है कि डिजिलॉकर इकोस्टिम के प्रति उत्साहहीन प्रतिक्रिया के मूल कारणों को चिन्हित करने एवं सभी क्षेत्रों में निर्वाद सेवा सुपुर्दगी को सुगम बनाने के लिए निवारक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। समिति चाहती है कि डिजिलॉकर की पूर्ण क्षमता एवं इसके प्रभाव का दोहन करने के लिए मंत्रालय द्वारा नए कदम उठाए जाएं एवं साथ ही डिजिलॉकर सेवाओं को प्रदान करने में समर्थ सरकारी/निजी एजेंसियों हेतु डिजिटल लाइसेंसिंग विशिष्टताओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी समिति को दी जाए।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर ,विनिर्माण का संवर्धन -प्रमुख बाधाएं

(सिफारिश क्रम सं. 13)

8. समिति नोट करती है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को हो रही प्रमुख बाधाओं में डब्लूटीओ का आईटीए शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक पहला क्षेत्र या जिसे जो पहली बार खोला गया और जिसने बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए शून्य प्रशुल्क प्रणाली स्वीकार की । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ (की सूचना प्रौद्योगिकी समझौता) 1-आईटीए (1-के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने 217टैरिफ लाइनों पर शून्य प्रशुल्क प्रणाली कार्यान्वित किया है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता)एफटीए (और अधिमान्य व्यापार एमझौता

)पीटीए (के अंतर्गत इन देशों से सामान्य शुल्क दर से कम दर पर इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात की अनुमति है जिसके परिणाम स्वरूप देशो में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की सीमित सुरक्षा मिल रही है। भारत में अन्य बाधाओं में अपर्याप्त अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला तथा लगभग 9. 5% के साथ औसत ऋण दर के वित्त की उच्च कीमत शामिल है जो कि काफी ज्यादा है तथा घरेलू उद्योग की पर्याप्त रूप से ऋण संपाश्वक बनाने में असमर्थ है।

जबकि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन हेतु पहले से ही कई पहल की है जिसमें अन्य बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019की शुरूआत ,इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 100प्रतिशत एफडीआई , पूंजीगत पहलुओं पर मूल सीमा शुल्क) बीसीडी (में छूट ,तर्कसंगत शुल्क आदेश , जनक्रय आदेश और जैसे एमएसआईपीएस ,ईएमसी ,इंडीएफ और पीएमपी जैसी योजनाएं आदि हैं। स्वेदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है जिसमें सरकारी स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। अत :समिति सिफारिश कहती है कि सरकार आईटीए 1- जैसे समझौते के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं को हो रही चुनौतियों को हल करने के तरीको पर ध्यान दे जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों को बिना किसी शुल्क के आयात करने की अनुमति दे। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे बहुस्तरीय समझौतों पर संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके पुन:विचार की आवश्यकता है। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने इस बारे में वाणिज्य विभाग और वित्त मंत्रालय से चर्चा की है। उन्होंने इस मामले को अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ भी उठाया है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इस संबंध में एक अनूकूल नीति के लिए समयबद्ध ढंग से परामर्श प्रक्रिया जल्द ही पूरी करे तथा इसके परिणामों से समिति को अवगत कराये। इसके अलावा ,अवसंरचना विकास और इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर निर्माताओं को कम कीमत/प्रमाण पत्र मुक्त क्रेडिट हेतु योजनाएं प्राथमिकता के अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के संवर्धन हेतु मंत्रालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

9. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के लिए टैरिफ संरचना का युक्तिकरण एक निरंतर चलने वाला कार्य है। एमईआईटीवाई की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व विभाग)डीओआर) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. बीसीडी को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)पीसीबी(, सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर, डिस्प्ले पैनल, आदि के विषय में उपयोग करने के लिए अध्याय 82, 84, 85 और 90 के तहत वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति में, उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से आने वाले निर्दिष्ट पूंजीगत सामान पर छूट दी गई है।

ii. एचएस 85219090 के तहत आने वाले डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर)डीवीआर/(नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर)एनवीआर (पर बीसीडी और एचएस 852580 के तहत आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा टैरिफ दर को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया गया है।

iii. एचएस 85219090 के तहत आने वाले डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर)डीवीआर/(नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर)एनवीआर (के चार्जर या एडॉप्टर)एचएस 850440 के तहत आने वाले(और एचएस 852580 के तहत आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा पर 15% बीसीडी लगाया गया है।

iv. पैनल एलसीडी/एलईडी टीवी के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओपन सेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी)बीसीडी (को सितंबर 2020 तक सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2019 की अधिसूचना संख्या 30/2019 के जरिये %5 से घटाकर शून्य कर दिया गया है ।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई की सिफारिशों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट 2020-21 में टैरिफ युक्तिकरण का पालन किया गया है:

क .सेलुलर मोबाइल फोन)एचएस 85177010) के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली)पीसीबीए) पर बीसीडी को 01.04.2020 से टैरिफ दर में वृद्धि के साथ 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

ख .01.04.2020 के प्रभाव से सेल्युलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में वाइब्रेटर मोटर/रिंगर के उपयोग पर 10% बीसीडी लगाया गया है।

ग .बीसीडी को माइक्रोफोन के विनिर्दिष्ट भागों पर वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के अधीन छूट दी गई है)एचएस 85181000 के तहत कवर (अर्थात)i) माइक्रोफोन कार्ट्रिज; (ii) माइक्रोफोन धारक; (iii) माइक्रोफोन ग्रिल; और)iv) माइक्रोफोन बॉडी ।

घ .एचएस 850440 के तहत आने वाले बीसीडी पर चार्जर या पॉवर एडॉप्टर)सूचना प्रौद्योगिकी सहमति-1 में शामिल को छोड़कर (को एचएस 850440 के तहत शामिल मदों पर टैरिफ दर शून्य/10%/15% से 20% को बढ़ाकर 10%/15% से 20% बढ़ा दिया गया है।

" इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल)अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता (आदेश, 2012"

विश्व व्यापार संगठन के नियम में, टैरिफ बाधाओं का उपयोग गैर-टैरिफ जैसे तकनीकी विनियम)टीआर (बाधाओं के पक्ष में गिरावट का रुझान दिखा रहा है, जो आयातों को गुणात्मक रूप से विनियमित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। भारत में अपेक्षाकृत उच्च टैरिफ है लेकिन तुलनात्मक रूप से टीआरएस की तुलना में कम संख्या में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं।

भारत में विनियामक अंतर को भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)एमईआईटीवाई) ने अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करते हुए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल)अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता (आदेश, 2012" को अधिसूचित किया है। वर्तमान में, 56 उत्पाद श्रेणियों को आदेश की अनुसूची के

तहत अधिसूचित किया गया है और आदेश 44 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है। योजना के अनुसार, बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पादों के परीक्षण के आधार पर, विनिर्माण को भारतीय मानक ब्यूरो)बीआईएस (से अधिसूचित उत्पाद श्रेणियों के लिए पंजीकरण प्राप्त करना होता है। निर्माता को भारत में स्टॉक, बिक्री, आयात, निर्माण आदि से पहले पंजीकरण प्राप्त करना होता है।

प्राप्त किए गए परिणाम इस प्रकार हैं:

क .नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

ख .भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उत्पाद

ग. उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वैश्विक मानकों और माल के साथ बढ़ता है

घ .भारत में असुरक्षित उत्पादों का निर्यात करने वाले व्यापारियों/विनिर्माताओं के लिए निवारक और निर्माता/व्यापारी जिम्मेदार बन जाते हैं। अनिवार्य पंजीकरण योजना के परिणामस्वरूप भारतीय सुरक्षा मानकों के लिए अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उच्च अनुपालन हुआ है और बीआईएस द्वारा लगभग 1,00,000 उत्पाद मॉडल/श्रृंखला को कवर करने वाली विनिर्माण इकाइयों को 22,000 से अधिक पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए) सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापार पर मंत्रिस्तरीय घोषणा में संपन्न एक बहुपक्षीय समझौता है और इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों द्वारा लागू किया गया है । इसे गैट)जीएटीटी (1994 या एक्सेस के प्रोटोकॉलके लिए मारकेश प्रोटोकॉल के संलग्न देशों की रियायतों की डब्ल्यूटीओ अनुसूची में संशोधन करके विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को जोड़कर लागू किया गया है। यह डब्ल्यूटीओ और गैट के तहत दायित्व देशों द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए लागू होता है ।

आईटीए समझौते में कोई निकास खंड नहीं है। गैट)जीएटीटी (की धारा 2 अनुच्छेद XV में बताया गया है कि 'एक बहुपक्षीय व्यापार समझौते से निकासी

उस समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होगी'। गैट)जीएटीटी (के अनुच्छेद XXVIII के तहत एक रियायत के संशोधन या निकासी से निपटा जाता है ।

वाणिज्य विभाग व्यापार समझौतों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है। दिनांक 02.06.2020 को आयोजित एक बैठक में, वाणिज्य विभाग ने बताया कि इस स्तर पर आईटीए समझौते से वापसी संभव नहीं है और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)एमईआईटीवाई) देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएं लेकर आई हैं।"

10. समिति ने सिफारिश की थी कि आईटीए-1 जैसे समझौते जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाता है, के अंतर्गत इलेकट्रॉनिकी पर शून्य शुल्क प्रणाली सहित घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को हो रही समस्याओं का समाधान करने पर विचार करे। समिति के कुछ सदस्यों ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके ऐसे बहुपक्षीय समझौतों की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्रालय ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र हेतु प्रशुल्क संरचना को तार्किक बनाने का कार्य चल रहा है। मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग (डीओआर) ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी समझौता विश्व व्यापार संगठन के नियमों द्वारा प्रवृत्त होता है और आईटीए समझौते में बाहर निकलने का कोई खंड नहीं है। वाणिज्य विभाग व्यापार समझौतों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक नोडल मंत्रालय है और उन्होंने मंत्रालय को बता दिया है कि इस स्तर पर आईटीए समझौते से बाहर आना संभव नहीं है और मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित करे। समिति ने नोट किया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(एमईआईटीवाई) ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएं शुरु की हैं। समिति इस बात को दुहराती है कि इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के लिए अवसंरचना का विकास और आपूर्ति श्रृंखला जैसी पहल एवं घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माताओं को कम लागत/संपोर्शिवक-युक्त साख प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं को प्रोत्साहन हेतु योजनाओं को भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाए और मंत्रालय को इस क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के लिए इन पहलों पर कार्य करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में, समिति ने DoT की अनुदानों (2019-20) की मांगों पर 13 वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट (पैरा 17) में उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दोहराया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस मुद्दे को वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाने का आग्रह किया।

चीन से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात

(सिफारिश क्रम सं. 14)

11. समिति नोट करती है कि चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी सामान का आयात वर्ष 16-2015में 55% ,वर्ष 17-2016में 57% ,वर्ष 18-2017में 60% हुआ जो वर्ष 19-2018में कम होकर के 39% हो गया। वर्तमान में देश में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात का लगभग 37% चीन से है। ये आयात ज्यादातर घटकों के रूप में प्रकृति का है जो सब-असेम्बली तथा अंतिम उत्पादों का विनिर्माण करता है। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण ऐसे घटकों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ने की संभावना है । तथापि यह प्रभाव कोरोना वायरस के प्रसार/अधिक प्रसार पर निर्भर करेगा। वर्तमान में औद्योगिक संबंधों और प्रमुख विनिर्माणी कंपनियों से यह सुनिश्चित किया गया कि अगले कुछ सप्ताह तक माल-सूची उपलब्ध रहे। अन्य देशों से ऐसे घटकों के आयात के स्रोतों की तलाश करने के उपाय भी किये जा रहे हैं। उद्योग संबंधों को सलाह दी गयी है कि वे ऐसे अवसरों की तलाश के लिए क्रेताओ-

विक्रेताओ की बैठक आयोजित करें। मध्यम और दीर्घकालीन के परिप्रेक्ष्य में , पीएलआई ,एसपीईसीएस ,एमसीएस ,जैसी योजनाओं के माध्यम से उचित प्रोत्साहन देते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिकी घटक की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए तथा भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र में किसी विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यद्यपि भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान मांग के प्रतिशत के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी सामान के आयत में गिरावट दर्ज हो रही है फिर भी समिति महसूस करती है कि वर्तमान स्तर पर भी चीन से इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। एक ही देश पर इलेक्ट्रॉनिकी सामान के स्रोत हेतु इतनी ज्यादा निर्भरता चिंता का विषय है। अत : समिति सिफारिश करती है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर लघु से मध्यम अवधि के प्रभाव तथा दीर्घ अवधि में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर ,आयात के स्रोतों को बढ़ाने हेतु किये गये उपायों की समीक्षा की जाए जबकि उसी समय पर एकल बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वेदेशी उत्पादन में वृद्धि की जाए ताकि चीन में कोरोना वारयस के जैसे प्रकोप कोई भी अचानक/अप्रत्याशित/अपेपक्षित घटना से भारतीय बाजार में सामानों की भारी कमी न हो।

12. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"समिति ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के छोटे से मध्यम प्रभाव और बाद में पूरी दुनिया में फैलने से एक महामारी की स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

इस संबंध में, यह अवगत कराया जाता है कि कोरोना महामारी के कारण भारत

में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वर्ष के शुरुआती दौर में चीन में वायरस का प्रकोप काफी हद तक चीन पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के रूप में प्रकट हुआ। जनवरी और फरवरी के महीने में इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं के आविष्कारों में कमी आई, जो कि उद्योग के अनुमान के अनुसार 40% तक था, जिसके कारण उत्पादन में भी कमी आई। भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में वायरस फैल गया और 25 मार्च, 2020 को एक देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दी गई। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सहित सभी उत्पादन गतिविधियों में पूरी तरह से रुकावट आ गई, कुछ कंपनियां ही अपवाद स्वरूप वेंटिलेटर जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का विनिर्माण कर रही थीं।

लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान, उद्योग के साथ उनकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अन्य परिचालन मुद्दों की स्थिति की जांच करने के लिए व्यापक बातचीत की गई। उद्योग के फीडबैक के आधार पर सिफारिशों को गृह मंत्रालय)एमएचए) को भेजा गया। एमएचए ने आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (क) दिनांक 15 तारीख, 2020 जारी किया, जिसमें देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों /विभागों, राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों, जहां बीमारी प्रसार नियंत्रण में था, में "आईटी हार्डवेयर विनिर्माण "से संबंधित गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करना शामिल था। इस तरह के निर्देशों के आधार पर, 20% से 30% इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिचालन को संबंधित राज्य और स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन लेने और मंत्रालय द्वारा उद्योग निकायों के परामर्श से विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं)एसओपी (के अनुसार सुरक्षा और अन्य एहतियाती उपायों का अवलोकन करके फिर से शुरू किया जा सकता है। इन एसओपी को सामाजिक और भौतिक दूरी संबंधी मानदंडों, कर्मियों के प्रवेश और निकास के विनियमन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, परिवहन प्रबंधन, कैंटीन संचालन, कीटाणुशोधन संचालन, जागरूकता पैदा करने आदि जैसे पहलुओं को शामिल करने के लिए बनाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य निवारक और रोकथाम संबंधी

उपायों को अपनाने के साथ-साथ प्रचालन फिर से शुरू करना और आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण पहल शुरू करना है।

कोविड-19 से संबंधित स्थिति अभी भी एक प्रक्रियाधीन स्थिति है और राज्यों के साथ-साथ उद्योग हितधारकों के साथ विनिर्माण संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। इस परिदृश्य में, जब उत्पादन न केवल एहतियाती उपायों से बाधित होता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति दोनों के कारण संघटकों कमी हो रही है, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए निर्यात बाजार में अपना योगदान करने वाले कई देश अभी भी लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में हैं।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि दीर्घावधि में, एक ही समय में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात के स्रोतों को व्यापक आधार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं ताकि किसी एकल बाजार /भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके और कोई भी अचानक / अप्रत्याशित घटना जैसे चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारतीय बाजार में इन्वेंट्री की बड़े पैमाने पर कोई कमी न हो। इस संबंध में, यह अवगत कराया जाता है कि एमईआईटीवाई ने हाल ही में तीन नई योजनाएं अधिसूचित की है। इसके अलावा, भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योग के साथ समन्वय से वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उपरोक्त नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए दूतावासों, मिशनों, निवेश भारत और संगठनों के सहयोग से वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, जापान, कोरिया और वियतनाम से बड़ी मात्रा में घरेलू विनिर्माण के बड़े हिस्से के साथ देश के आयात पोर्टफोलियो के विविधीकरण की

उम्मीद की जाती है।

श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघों, मंडलों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, ताकि कोविड 19-के कारण फैक्ट्रियों की कार्यप्रणाली, संभारिकी, निर्यात, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और मांग घटने जैसे मुद्दों पर उद्योगों के साथ चर्चा की जा सके।"

13. समिति ने चीन में कोरोना वायरस के फैलाव का भारत में इलेकट्रॉनिक हार्डवेयर पर पड़ने वाले अल्प और मध्यम कालकि प्रभाव की समीक्षा करने और भारत में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवयेर आयात के स्रोतों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने की सिफारिश की थी और इसके साथ ही समिति ने एकल बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि कोरोना वायरस जैसी कोई अचानक/अप्रत्याशित महामारी या चीन में भविष्य में कोई महामारी फैलने की स्थिति में भारतीय बाजारों में माल की बड़े पैमाने पर कमी न हो। मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव कोरोना महामारी के कारण पड़ने की आशंका है। उद्योग के अनुमान के अनुसार जनवरी और फरवरी महीने में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं की वस्तु सूची में 40 प्रतिशत तक कमी से उत्पादन में कमी हो गई। कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां अभी भी बदल रही हैं तथा विनिर्माण प्रचालन को यथासंभव सुगम बनाने के लिए राज्यों और उद्योग के हितधारकों से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। मंत्रालय को आशा है कि दीर्घकालिक उपाय के रुप में इसके द्वारा अधिसूचित नई योजनाएं अर्थात् बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन सहशब्द प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) और परिवर्तित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी

2.0) योजना, इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन देने तथा घरेलू मूल्य आवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उपकरणों के आयात के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योगों के संबंध में वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र को लगातार प्रभावित कर रहा है और यह अभी कुछ दिन तक और रहेगा, समिति इस बात को दुहराती है कि मंत्रालय प्रभाव देखने के लिए समय समय पर स्थिति की समीक्षा करे और पीएलआई, एचपीईसीएस और ईएमसी 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयरों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक उपाय करे ताकि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सके।

साइबर सुरक्षा परियोजना)एनसीसीसी एवं अन्य (

(सिफारिश क्रम सं. 15)

14. समिति नोट करती है कि साइबर स्पेस नागरिकों ,सिविल सोसायटी ,व्यापार और सरकार के लिए संचार और सूचना के प्रसारण का एक सामान्य माध्यम है। साइबर सुरक्षा परियोजना)एनसीसीसी एवं अन्य (उद्देश्य देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए एक समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। समिति नोट करती है कि इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 20-2019में बजट अनुमान 120करोड़ रूपये था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 102.00करोड़ रूपये कर दिया गया तथा 31जनवरी 2020तक वास्तविक उपयोग 58.60करोड़ रूपये था। 21-2020 में 400.00करोड़ रूपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में बजट अनुमान चरण में 170करोड़ रूपये आवंटित किये गये। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा के खतरों के वास्तविक समय में मैक्रो स्कोपिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी (की स्थापना का प्रस्ताव

किया है। एनसीसीसी की स्थापना हेतु परियोजना का अनुमोदन 770करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ 5वर्ष के लिए किया गया था तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद अप्रैल 2015में इसकी शुरूआत की गयी थी। तथापि, एनसीसीसी परियोजना के लिए बजट आवंटन केवल वित्त वर्ष 18-2017में किया गया था। एनसीसीसी का चरण 1-जुलाई 2017में शुरू हो गया था। इस चरण में 20 साइटों की आईएसपी और संगठनों के मेटाडाटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष 2020-2019के दौरान चरण-II स्टेज 1को शुरू करने का उद्देश्य अतिरिक्त 15दूरदराज की साइटों से मेटाडाटा संरक्षण और विश्लेषण करना है। वर्ष 2016में कुल 65पदों 60)एसएण्डटी और 5गैर-एसएण्डटी (की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से 26पदों 23)एसएण्डटी और 3गैर-एसएण्डटी (को भरा गया तथा शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सीईआरटी-इन वर्तमान में परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। एनसीसीसी चरण-II का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। वर्तमान में कार्यालय स्थल का नवीनीकरण चल रहा है। एनसीसीसी के लिए प्राथमिक के साथ-साथ आपदा वसूली स्थल के लिए डाटा सेंटर कलेक्शन सेवाएं किराए पर ली जाएंगी । अगले वर्ष मुख्य रूप से आईटी ढांचागत वस्तुओं)हार्डवेयर ,सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग (की खरीद के लिए और चालीस साइटों की जरूरतें पूरा करने हेतु डाटा सेंटर कलेक्शन सेवा सहित स्थान के लिए बजट की आवश्यकता होगी।

समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एनसीसीसी की स्थापना के लिए जो परियोजना अप्रैल 2015 में 5 वर्षों की अवधि में 770 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी, केवल वित्त वर्ष 2017-18 से बजट आवंटन प्राप्त करने के लिए शुरू हुई और पांच वर्ष की अवधि के दौरान परियोजना का वास्तविक आवंटन 105 करोड़ रुपये किया गया है जो कि अनुमोदित कार्य का केवल 13.63% है। 2016 में स्वीकृत 65 पदों में से अब तक मात्र 26 पद ही भरे जा सके हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साइबर सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है तथा इस पर पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है, एनसीसीसी की एक अग्रसक्रिय एजेंसी के रूप में स्थापना से संबंधित साइबर स्पेस से जुडे मुद्दों से निपटने के लिए मंत्रालय का लापरवाहीपूर्ण रवैया काफी निराशाजनक है। समिति

इच्छा व्यक्त करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों को प्रस्तुत किया जाए तथा जिम्मेदारी भी तय की जाए। समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराया जाए तथा शेष पदों को समय से भरा जाए जिससे एनसीसीसी की स्थापना बिना किसी और विलम्ब से की जा सके तथा समिति को इस संबंध में की गयी प्रगति से अवगत कराया जाय।

समिति ने मीडिया में आई खबरों और व्यक्तियों की शिकायतों के बारे में चिंता व्यक्त की कि उनके टेलीफोन अत्याधुनिक पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हैक किए गए हैं । इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करने के बावजूद, समिति सरकार से इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई कि यह किसी अधिकृत निगरानी का परिणाम है । इन परिस्थितियों में समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सतर्कता बरतने का आग्रह करे कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की अनधिकृत निगरानी की अनुमति न दी जाए।

15. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"प्राय :वित्त मंत्रालय पिछले वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान को 5-7% तक बढ़ाने की नीति पर अडिग है । यह नोट किया जाएं कि योजनावार आवंटन मंत्रालय स्तर पर प्रतिबद्ध/परिचालनरत व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता है और फिर परियोजनाओं की प्राथमिकता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुदेश आदि के आधार पर डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम के तहत शेष निधियों को योजनाओं के बीच वितरित किया जाता है । एमईआईटीवाई हमेशा इस तरह से योजनाओं के शेष निधि आवंटित करने की कोशिश करता है ताकि योजनाओं/परियोजनाओं को कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ कार्यन्वित किया जाता रहे। मौजूदा वर्ष में, कोविड 19-महामारी की मौजूदा परिदृश्य की वजह से वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.04.2020के कार्यालय ज्ञापन के जरिए योजनाओं/परियोजनाओं के तहत व्यय पर और अधिक कठोर वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किए

हैं।

यद्यपि अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से अथवा संशोधित अनुमान)आरई 21-2020 (चरण पर अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने की संभावना नहीं है, एमईआईटीवाई परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने अथवा निधियों के पुनर्विनियोजन की संभावनाएं तलाश करेगा और अनुदानों के लिए पूरक मांगों अथवा)आरई-2020 (21के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने पर वित्त मंत्रालय के साथ भी मामले को उठाएगा ।

इसके आगे यह निर्दिष्ट किया गया है कि वर्ष 2016 में एनसीसीसी के लिए कुल स्वीकृत किए गए 65 एसएंडटी और गैर-एसएंडटी पदों में से, कुल 01 वैज्ञानिक 'ई', 23 वैज्ञानिक 'बी' और 03 गैर-एसएंडटी हेतु पदों को भरा गया था, इनमें से 01 वैज्ञानिक 'बी' ने वर्ष 2019 में इस्तीफा दे दिया है। 10 वैज्ञानिक 'डी' और 20 वैज्ञानिक 'सी' पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी मानदंडों के अनुसार अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण और पृष्ठभूमिक सुरक्षा सत्यापन को पूरा करने के बाद जनशक्ति को जल्द ही भर्ती किए जाने की संभावना है। शेष रिक्त पदों के लिए जनशक्ति की भर्ती प्रक्रिया अग्रिम अवस्था में है।

अनधिकृत निगरानी के संबंध यह कहा गया है कि संबंधित विषय गृह मंत्रालय के दायरे में है। यद्दपि, सूचना प्रौद्योगिकी)आईटी (अधिनियम सरकार को कड़ी जांच पड़ताल और संतुलन हेतु कानूनी विषयो के ढांचे के तहत निगरानी करने के लिए अधिकृत करता है। आईटी अधिनियम की धारा 69 इससे संबंधित है। कानून के तहत किसी भी अनधिकृत निगरानी की अनुमति नहीं है।"

16. समिति ने यह चिंता व्यक्त की थी कि अप्रैल, 2015 में 5 वर्षों की अवधि के लिए 770 करोड़ रुपये के परिव्यय से एनसीसीसी की स्थापना के लिए आरंभ की गई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से ही बजटीय आवंटन

मिलना शुरु हुआ तथा पांच वर्ष की अवधि के दौरान परियोजना के लिए वास्तविक आवंटन 105 करोड़ रुपये रहा था जो कि अनुमोदित परिव्यय का मात्र 13.63 प्रतिशत था। तदनुसार, समिति ने सिफारिश की कि योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाए और एनसीसीसी में रिक्त पदों को समय पर भरा जाए। मंत्रालय ने यह कहकर एनसीसीसी के लिए निधि में इतनी कमी को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि मंत्रालय स्तर पर योजना-वार आवंटन उन प्रतिबद्ध/प्रचालन व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है जिन्हें टाला नहीं जा सकता और शेष धनराशि का वितरण परियोजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण, वित्त मंत्रालय से प्राप्त विशिष्ट निर्देश आदि के आधार पर डिजिटल इंडिया अंब्रेला प्रोग्राम के अधीन किया जाता है। इससे समिति को यह लगता है एनसीसीसी मंत्रालय के लिए कभी भी प्राथमिकता वाली परियोजना नहीं रही है। अन्यथा एक परियोजना जो इतनी महत्वपूर्ण है जितनी की साइबर सुरक्षा तथा जो अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी उसे वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अनुमोदित परिव्यय के मात्र 13.6% मामूली आवंटन के साथ नही चलाया जाता। इससे एनसीसीसी को स्थापित करने में मंत्रालय की उदासीनता और गंभीरता की कमी स्पष्ट रुप से दिखाई देती है जोकि देश की साइबर सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अनिवार्य है। समिति यह दोहराती है कि इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए और शेष रिक्त पदों को समय पर भरा जाए ताकि एनसीसीसी को और अतिरिक्त विलंब किए बिना स्थापित किया जा सके। समिति चाहती है कि साइबर सुरक्षा के मुद्दे की और जांच जारी रखी जाए।

पीएमजी दिशा

(सिफारिश क्रम सं.16)

17. समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि सरकार ने फरवरी 2017में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)पीएमजी दिशा (नाम से 31मार्च 2019तक ग्रामीण भारत में 6करोड़ ग्रामीण घरों)एक व्यक्ति प्रति घर (में

डिजिटल साक्षरता प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी थी। तथापि 31दिसंबर 2019को पीएमजी दिशा योजना के तहत कुल 3.19करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया ,जिसमें से मात्र 2.56करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा इसमें से 1.88करोड़ लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया। स्वीकृति के समय इस योजना से आशा की गयी थी कि पीएमजी दिशा योजना दो वर्ष के समय में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करेगी। तथापि लगभग तीन वर्ष के पूर्ण होने के बाद योजना 2.56करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रबंध कर पायी है जो निर्धारित लक्ष्य का 42.66प्रतिशत ही है। प्रत्येक लाभार्थी द्वारा परिणामी मापन अर्हता कम से कम पांच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन यूपीआई)भीम एप सम्मिलित है ,(यूएसएसडी ,पीओएस ,एईपीएस ,कार्ड ,इंटरनेट बैंकिंग शामिल है। उपर्युक्त योजना का कुल परिव्यय लगभग 2351.38करोड़)लगभग (है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

समिति नोट करती है कि योजना के 2वर्ष के समय में 6करोड़ लोगों को कवर करने के लिए कैबिनेट स्वीकृति के बाद भी लगातार कई वर्षों से संसाधनों के अभाव के कारण योजना को कई प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ा तथा निर्धरित लक्ष्य नहीं मिला सका। वर्ष 21-2020के दौरान पुन 1175.00 :करोड़ रूपये के प्रस्तावित आवंटन में से इसे काफी कम करके 400.00करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ जो कि चिंता का कारण है। समिति यह समझने में असफल रही कि कैसे एक योजना कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भी अपेक्षित आवंटन प्राप्त करने में असफल रही। महत्वपूर्ण पीएमजी दिशा योजना में लक्ष्यों की गैर प्राप्ति पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति महसूस करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस महत्वपूर्ण योजना को निधियों की कमी के लिए प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा सिफारिश करती है कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निधियों की कमी तथा अन्य चुनौतियों को हल करने के लिए तुरंत उपाय किये जाएं। समिति चाहती है कि पीएमजी दिशा योजना के निधियों के आवंटन के संबंध में मंत्रालय के एमओएफ से सारे पत्राचारों को समिति को

प्रस्तुत किया जाए।

18. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"पीएमजीदिशा योजना के तहत, अब तक कुल 3.60 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया, जिसमें से 2.96 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा जिनमें से 2.16 करोड़ व्यक्ति विधिवत रूप से 3 पार्टी आकलन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 938 करोड़ रु की जारी की गई राशि के साथ यह अनुरूप स्थिति में है।

निधि की अपर्याप्तता के समाधान हेतु मांगी गई निधि के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि प्राय :वित्त मंत्रालय पिछले वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान को 5-7% तक बढ़ाने की नीति पर अडिग है । बीई 2019-20 में योजना का प्रावधान जो 3750.76 करोड़ रु. था, बीई 2020-21 में 3958 करोड़ रु. से लगभग 5.5% बढ़ाया गया है। यह नोट किया जाए कि योजनावार आवंटन मंत्रालय स्तर पर प्रतिबद्ध/परिचालनरत व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता है और फिर परियोजनाओं की प्राथमिकता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुदेश आदि के आधार पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शेष निधियों को योजनाओं के बीच वितरित किया जाता है। एमईआईटीवाई हमेशा इस तरह से योजनाओं के शेष निधि आवंटित करने की कोशिश करता है ताकि योजनाओं/परियोजनाओं को कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ कार्यान्वित किया जाता रहे। मौजूदा वर्ष में, कोविड 19-महामारी की मौजूदा परिदृश्य की वजह से वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.04.2020के कार्यालय ज्ञापन के जरिए योजनाओं/परियोजनाओं के तहत व्यय पर और अधिक कठोर वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं । यद्यपि अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से अथवा संशोधित अनुमान)आरई 21-2020 (चरण पर अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने की संभावना नहीं है, एमईआईटीवाई परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने अथवा निधियों के पुनर्विनियोजन की संभावनाएं तलाश करेगा और अनुदानों के लिए पूरक मांगों अथवा आरई 21-2020

के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने पर वित्त मंत्रालय के साथ भी मामले को उठाएगा।"

19. अनुमोदन के समय, पीएमजीडीआईएसएचए योजना के अंतर्गत दो वर्षों की अवधि में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के सम्मिलित होने की आशा थी। तथापि, लगभग तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात् योजना के अंतर्गत लगभग 2.56 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सका है जो कि निर्धारित लक्ष्य का मात्र 42.66 प्रतिशत है। निधि की कमी के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के बारे में समिति की चिंता पर मंत्रालय ने सूचित किया है कि पीएमजीडीआईएसएचए योजना के अंतर्गत अब तक कुल 3.60 करोड़ लाभार्थियों को नामित किया गया है, 2.96 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 2.16 करोड़ प्राधिकृत तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित किए गए हैं। मंत्रालय ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि यह इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक जारी की गई 938 करोड़ रुपए धनराशि के अनुरुप है। तथापि, यह अब भी चिंता की बात है कि योजना के अंतर्गत 6 करोड़ परिवारों को सम्मिलित करने के आरंभिक लक्ष्य को धनराशि की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय का यह तर्क विश्वसनीय नहीं है कि ब.अ. 2019-20 में योजना के लिए धनराशि 3750.76 करोड़ रुपए को वास्तविक रुप से लगभग 5.5 प्रतिशत बढ़ाकर ब.अ; 2020-21 में 3958 करोड़ रुपए कर दिया गया था क्योंकि 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित करने का संपूर्ण लक्ष्य पहले ही प्रभावित हो चुका है। मंत्रालय ने पीएमजीडीआईएसएचए को अनुदान के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ अपने पत्राचार का ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव में समिति यह नहीं समझ पा रही है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिए अनुदान में कमी क्यों की गई है। समिति पाती है कि मंत्रालय का यह कथन है कि वह परियोजनाओं को पुन: प्राथमिकता देने आदि के आधार पर अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने तथा धनराशि के पुनर्विनियोग की संभावनाएं तलाशेगा और इस

मामले को पुन: अनुदानों की मांगों के स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ भी उठाएगा, समिति को समुचित नहीं लगती है। समिति चाहती है कि पीएमजीडीआईएसएचए योजना में धनराशि की कमी की समस्या और अन्य चुनौतियों का निवारण किया जाए।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

बजट विश्लेषण

(सिफारिश क्रम सं. 1)

समिति नोट करती है कि वर्ष 21-2020के लिए 11023.00करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)एमईआईटीवाई (का बजट आवंटन 6899.03करोड़ रुपए है जिसमें राजस्व खंड के अंतर्गत 6524.03करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 375करोड़ रुपए शामिल है। वर्ष 20-2019के दौरान, 12059.39 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में, बजट आवंटन 6654.00करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 5839.46करोड़ रुपए कर दिया गया तथा 31जनवरी, 2020 तक वास्तविक उपयोग 4610.95करोड़ रुपए था। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि और आवंटित राशि के मध्य दोनों वर्षों में बहुत अंतर देखने को मिला है। वर्ष 20-2019के दौरान, बजट अनुमान)ब.अ (.आवंटन प्रस्तावित राशि का 55.17 प्रतिशत था और 21-2020के दौरान, बजट अनुमान)ब.अ (.आवंटन प्रस्तावित राशि का 62.59प्रतिशत था। जब 21-2020में बजट अनुमान स्तर पर 11023.00करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन में भारी कटौती कर इसे 6899.03 करोड़ रुपए किए आने के बारे पूछा गया, मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय सामान्यत :चल रही योजनाओं के बजटीय प्रावधान को 5से 7प्रतिशत बढ़ाने की नीति का पालन करता है। योजना हेतु या गया प्रावधान जो कि 20-2019के बजट अनुमान में 3750.76करोड़ रुपए का था उसमें लगभग 5.5प्रतिशत की वृद्धि कर 21-2020के बजट अनुमान में 3958करोड़ रुपए कर दिया गया। तथापि ,नई योजनाओं/परियोजनाओं के अनुमोदन, सरकार की नई नीतियों के कार्यान्वयन आदि मामलों में आवंटन में वृद्धि की जाती है। सामान्य: प्रस्तावित औश्र अनुमोदित व्यय अनुमानों के मध्य अंतराल होता है और मंत्रालय स्तर पर,

यह सुनिश्चित किया जाता है कि निधियों का आवंटन सर्वप्रथम प्रतिबद्ध/परिचालनात्मक व्यय हेतु किया जाए जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और तत्पश्चात शेष निधियों को योजनाओं/परियोजनाओं की प्राथमिकता, वित्त मंत्रालय के विशेष आदेशों, आदि के आधार पर उन्हें मध्य इस तरह से वितरित किया जाता है कि योजनाएं/परियोजनाएं अति न्यून प्रतिकूल प्रभाव के साथ सतत् रूप से कार्यान्वित की जा सकें और यदि आवश्यक हो, तो वित्त मंत्रालय से योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु संशोधित अनुमान)सं.अ (.स्तर पर अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए आग्रह किया जा सकता है। हालांकि, समिति यह समझती है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निधियों के आवंटन के समय वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और सामान्यत :प्रस्तावित और अनुमोदित व्यय में अंतर होता है। प्रस्तावित व्यय और अनुमोदित व्यय के मध्य अधिक अंतर चिंता की बात है चूंकि मंत्रालय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के संबंध में संसाधनों के अभाव को एक बड़ी सीमा/बाधा मानता रहा है। जब मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राशि में वित्त मंत्रालय द्वारा लगभग आधी कटौती की जाती है तब तक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं में प्राथमिक आधार पर प्रतिबद्ध/परिचालनात्मक व्यय किया जाता है जिससे मंत्रालय द्वारा योजनाओं/प्राथमिकता क्षेत्रों के मध्य पुर्नावंटन की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय की कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है। एमईआईटीवाई सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का कार्यान्वयन कर रहा है और बजट में ऐसी भारी कटौती से उनकी कार्यान्वयन सूची/समय-सीमा प्रभावित होती है जिसे वास्तविक संभाव्यता और पर्याप्त योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय 100 प्रतिशत व्यय करने के लिए आशान्वित है और उनमें व्यय करने की क्षमता है, समिति सिफारिश करती है कि उनके द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत की गई मांग को वित्त मंत्रालय द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन/क्रियान्वयन हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

यह एक तथ्य है कि आमतौर पर प्रस्तावित और अनुमोदित व्यय अनुमानों के बीच एक अंतर है। यह भी सच है कि एमईआईटीवाई में विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक खर्च करने की क्षमता है, लेकिन आरई चरण पर कम आवंटन के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सचिव और माननीय मंत्री स्तर पर एमओएफ को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद एमओएफ आरई 2019-20 चरण में मूल प्रावधान (बीई 2019-20) को बनाए रखने की स्थिति में नहीं था।

चालू वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी परिदृश्य की वजह से, वित्त मंत्रालय)एमओएफ (ने एमईआईटीवाई के पहले तिमाही के खर्च को 15% और मासिक खर्च को % 5तक प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, एमओएफ ने इरादा किया है कि भारत सरकार को न केवल कम राजस्व जुटाने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि राहत और प्रोत्साहन पैकेजों की अतिरिक्त धन आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए उच्च व्यय की मांगों का भी सामना करना पड़ेगा। प्रचलित परिस्थितियों में, बीई 2020-21 के प्रावधान से बढ़कर अतिरिक्त कोष आवंटन की कोई संभावना नहीं है । तथापि, समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है और वित्त मंत्रालय के साथ इसे संशोधित प्राक्कलन स्तर पर या जब वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव मांगे जायेंगे तब मामला उठाया जाएगा ।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति

(सिफारिश क्रम सं. 2)

समिति नोट करती है कि 31दिसम्बर, 2019 तक, 398 62.करोड़ रुपए की राशि के कुल 150उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि एमईआईटीवाई विभिन्न परियोजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजनाओं/परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी/समीक्षा कर रहा है जो यह भी सुनिश्चित करता है कि एमईआईटीवाई

द्वारा जारी अनुदानों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, सचिव)एमईआईटीवाई/(एएसएंडएफए विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदान की उपयोग स्थिति का पता लगाने के लिए समय-समय पर उपयोग प्रमाणपत्रों)यूसी (की समीक्षा करते हैं। 01.04.2019के अनुसार 987.55करोड़ रुपए की राशि के 305 उपयोग प्रमाणपत्र लंबित हैं जो 03.02.2020तक घटकर 141रह गए जिसकी राशि 319.85करोड़ रुपए है। यह स्पष्ट है कि लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या 305से घटकर 141रह गई है और संबंधित राशि में काफी हद तक कमी आई है अर्थात् पिछले दस महीनों के दौरान 68प्रतिशत की कमी आई है। उपयोग प्रमाणपत्रों के परिसमापन और अनुदान ग्राही संस्थानों के साथ खर्च नहीं किए गए शेष को कम करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि किसी भी उपयोग प्रमाणपत्र के बकाया को दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय किए जाने चाहिए जिससे किसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं हेतु अनुवर्ती अनुदानों को जारी करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और मंत्रालय को अनुदानग्राही संस्थानों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्य करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई, एमईआईटीवाई स्वीकृत अनुदान के बाद की किश्तों को जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत करने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है । चूंकि यूसी का परिसमापन और अनुदान प्राप्त संस्थानों के साथ अव्ययित शेष राशि को कम करना न केवल अनुदान जारी करने में महत्वपूर्ण कारक हैं, बल्कि एमओएफ द्वारा संशोधित अनुमानों के लिए सीलिंग तय करना भी है, एमईआईटीवाई ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों में शून्य पेंडेंसी के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है और अव्ययित अव्ययित शेष को न्यूनतम किया है। इस संबंध में, यह सूचित किया गया है कि प्रधान लेखा कार्यालय, एमईआईटीवाई ने भी एक ओएम संख्या पीएओ/एमईआईटीवाई/यूसी/2020-21 दिनांक 17 जून, 2020 जारी किया है जिसमें सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यूसी की स्वीकृती मांगी गई।

आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन)आईईबीआर(

(सिफारिश क्रम सं. 3)

समिति नोट करती है कि वर्ष 19-2018के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय द्वारा आईईबीआर हेतु 1108.47करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1160.77करोड़ रुपए कर दिया गया। इसकी तुलना में, एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटियों ने 1291.00करोड़ रुपए का आईईबीआर लक्ष्य हासिल या जो कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों से अधिक है। समिति नोट करती है कि वर्ष 20-2019के दौरान, सोसाइटियों के लिए बजट अनुमान स्तर पर मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में 1248.89करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, संशोधित अनुमान स्तर पर यह लक्ष्य थोड़ा सा बढ़कर 1260.42करोड़ रुपए हो गया और 31.12.2019तक 1385.75करोड़ रुपए की उपलब्धि रही। यह संतोष की बात है कि 19-2018और 20-2019दोनों वर्षों में, मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटियों ने अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों)आईईबीआर (हेतु बजट अनुमान स्तर पर तय किए गए समग्र लक्ष्यों से बढ़कर पूरा किया है। समिति यह भी नोट करती है कि 20-2019के दौरान, आईईबीआर उपलब्धियां 1485.75करोड़ रुपए रही जो कि 7902.89करोड़ रुपए के अनुमोदित कुल परिव्यय का लगभग 18.80प्रतिशत है और शेष 81.20 प्रतिशत सरकारी अनुदानों के माध्यम से है। यद्यपि, जब प्रत्येक सोसाइटी के लिए निर्धारित किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य की बात होती है, समिति नोट करती है कि सी-डैक को छोड़कर जिसका आईईबीआर लक्ष्य सराहनीय रूप से अधिक रहा, एनईआईएलआईटी, ईआरएनईटी, एसटीपीआई/ईएचटीपी और समीर के संबंध में उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही। समिति को बताया गया कि नेशनल सुपरकम्प्यूटिंग मिशन के अंतर्गत, सी-डैक ने मंत्रालय और डीएसटी से 586करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, सी-डैक को अन्य संगठनों/संस्थानों तथा पीएसयू से भी परियोजनाएं मिली हैं। समिति यह आशा करती है कि स्वायत्त संगठन के अंतर्गत आईईबीआर उपलब्धियों में आने वाली महीनों में सुधार होगा तथा यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने द्वारा राजस्व सृजन हेतु साथ-

साथ नए क्षेत्रों के परिचालन की पहचान करनी चाहिए तथा सरकारी अनुदानों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए मंत्रालय को कुल परिव्यय में आईईसीआर घटक के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

एमईआईटीवाई के तहत आने वाले सभी स्वायत्त संस्थानों से प्रचालन के नए क्षेत्रों का पता लगाने और अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों से अधिक से अधिक परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे उन आत्मनिर्भर संस्थानों की ओर अग्रसर हों जिन्हें अस्तित्व के लिए इस मंत्रालय से मुख्य अनुदानों पर निर्भरता न के बराबर या बिलकुल नहीं हो। उल्लेखनीय है कि एनआईईएलआईटी, ईआरनेट और एसटीपीआई को उनके वेतन/स्थापना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए कोई कोर अनुदान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये स्वायत्त संस्थाएं आत्मनिर्भर हैं। अन्य तीन स्वायत्त सोसायटी द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

सी-डैक और अधिक आईईबीआर उत्पन्न करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों में अपने अनुसंधान और विकास)आरएंडडी (परिणामों को लागू करने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगा रहा है । वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईईबीआर का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 में 620.00 करोड़ रु से बढ़ाकर 800 करोड़ रु कर दिया ।

सी-मेट उन आत्मनिर्भर संस्थानों की ओर उन्मुख होने के लिए पता लगा रहा है जो एमईआईटीवाई से कोर अनुदान पर कम निर्भरता होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सी-मेट ने अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/उद्योगों के समर्थन से अनुसंधान के विभिन्न नए क्षेत्रों की योजना बनाई है और उन्हें क्रियान्वित किया है। प्रभावी मुद्रीकरण के लिए, कुछ सुविधाएं जैसे कि आरओएचएस परीक्षण और प्रमाणन, एलटीसीसी पैकेजिंग सुविधा आदि, जो कि प्रमुख अनुसंधान एवं विकास के लिए आवश्यक हैं, ने आंतरिक और बाहरी सेवाओं को प्रदान करके आत्मनिर्भरता में प्रमुख योगदान दिया। सी-मेट में विकसित विभिन्न तकनीकों को भी पिछले वित्तीय वर्ष में उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है और कुछ

राजस्व सृजन के लिए अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन में हैं।

समीर ने पिछले दो वर्षों के दौरान आईईबीआर लक्ष्य प्राप्त किया है । समीर ने ईएमआई/ईएमसी और ईएमपी परीक्षण, माप और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए विशाखापत्तनम में एक सुविधा स्थापित की है। समीर, मुंबई और चेन्नई में वर्तमान सुविधा को ईएमआई/ईएमसी परीक्षणों, माप और परामर्श में उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संवर्धित किया जा रहा है। इसके अलावा, समीर भी और अधिक आईईबीआर उत्पन्न करने के लिए दूसरे मंत्रालय/ विभाग में अपने आर एंड डी परिणामों को लागू करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज कर रहा है ताकि खुद को बनाए रखा जा सके ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र)एनआईसी (सरकारी तात्कालिक संदेश सेवा)जीईएमएस (का विकास

(सिफारिश क्रम सं. 4)

समिति नोट करती है कि सरकार के अंतर्गत तात्कालिक संदेश देने हेतु जीईएमएस एनआईसी द्वारा विकसित किया गया एक ओपन सोर्स, सुरक्षित, क्लाउड समर्थ तथा स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। इसमें मोबाइल एप और एक पोर्टल शामिल है। एप विभिन्न स्तरों पर सरकार के आंतरिक और बाह्य संचार के लिए है और जिसे अन्य सरकारी एप के साथ संदेश देने और जोड़ने के प्रबंधन के लिए समान रूप बनाया जा सकता है। प्रबंधन पोर्टल संगठन और कार्यरत कर्मचारियों, आधिकाधिक समूह प्रबंधन, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स के लिए है। जीआईएमएस एनडीसी शास्त्री पार्क से संचालित होता है और एन्ड्रायड तथा आईओएस वर्जन http://gmims.nic.in पर उपलब्ध है। जीआईएमएस की विशेषताओं में वन टूवन)एक से दूसरे को (और समूह संदेश, एंड टू एंड इन्क्रिप्शन, ईजीओवी एप्लिकेशन जैसे कि एनआईसी मेल, डिजिलॉकर के साथ एपीआई आधारित एकीकरण। जीआईएमएस ई-ऑफिस से एलर्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त करने, एप्लिकेशन सुरक्षा, एनआईसी सीआईआरटी, एनआईसी सीईआरटी, एनआईसी एचआरएमएस, ड्यूटी पोर्टल आदि के लिए आधिकारिक संचार चैनल है। इसमें इन्क्रिप्टेड बैकअप सुविधा और चैटबोट समर्थ इंस्टेंट डैशबोर्ड सेवाओं के साथ इंस्टेंट प्रतिपुष्टि तंत्र है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि जीआईएमएस बीटा परीक्षा चरण में हैं और अधिकतम विभाग इसके पीओसी में भागीदारी कर रहे हैं। उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा रही है और सुधार हेतु उसे समाविष्ट किया जा रहा है। आंतरिक और बाह्य सरकारी संचार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तात्कालिक संदेश के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म प्रदान करने के मंत्रालय के पहलों की सराहना करते हुए, समिति विद्यमान मैसेंजरों जैसे कि व्हाट्सएप जो कि विदेशी इकाइयों द्वारा नियोजित और संचालित किया जाता है और इसमें आंतरिक और बाह्य सरकारी संचार हेतु सीमित सुविधाओं का विकल्प है, के स्थान पर सुरक्षित, विश्वसनीय और आसान विकल्प प्रदान करने के लिए जीआईएमएस को शीघ्र शुरू किए जाने हेतु सभी उपाय किए जाने की सिफारिश करती है। समिति जीआईएमएस के पूर्ण रूप से कार्यरत होने की संभावित अवधि से भी अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

जीआईएमएस का सॉफ्टवेयर पार्ट जून 2020 तक तैयार हो जाएगा और तदनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार, सरकारी तंत्र के भीतर संचार के लिए जीआईएमएस का उपयोग किया जाना था। हालाँकि, सरकार के निर्देशों के अनुसार, वास्तु सुधार किया गया है और अब जीआईएमएस का उपयोग नागरिकों द्वारा भी किया जा सकता है।

साइबर)सर्ट-इन(, एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस-एजेंसियों के मध्य तालमेल और साइबर सुरक्षा हेतु समेकित निधि की आवश्यकता।

(सिफारिश क्रम सं. 5)

समिति नोट करती है कि 20-2019में साइबर सुरक्षा)सीईआरटी-इन(, एनसीसीसी और डाटा गवर्नेंस 42.00करोड़ रुपए से बढ़कर 21-2020में 140.00 करोड़ रुपए हो गया। आवंटन में वृद्धि एनसीसीसी परियोजना के लिए आवर्ती व्यय)गैर-योजना (हेतु निधियों के आवंटन के अतिरिक्त सीआईआरटी-इन में परिचालनात्मक व्यय की आवश्यकता के कारण है। इसके अलावा, अब आवंटित निधियों में पूंजीगत)मशीनरी और उपकरण (लागत व्यय भी शामिल है जो कि

पहले एक पृथक बजट शीर्ष था और जिसका अब इस एकल शीर्ष में विलय कर दिया गया है। अत :वास्तविक वृद्धि 90करोड़ रुपए (20-2019)से बढ़कर 140 करोड़ रुपए (21-2020)हो गई है। इस बढ़े हुए आवंटन का उपयोग सीईआरटी-इन के आईसीटी अवसंरचना में वृद्धि करने और जनबल प्रशिक्षण में किया जाएगा। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा सेंध और साइबर सुरक्षा खतरों के बढ़ते दायरे को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी (की स्थापना हेतु कदम उठाए हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य में साइबर सुरक्षा प्रमुख चिंता का विषय बनने जा रहा है जिसमें महत्वपूर्ण संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता होगी, समिति सिफारिश करती है कि साइबर सुरक्षा एजेंसियों/कार्यक्रमों के निधियन हेतु विविध/पृथक बजटीय शीर्ष के बजाय, मंत्रालय समेकित निधि पर विचार कर सकता है जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी पहलू शामिल हों। समेकित निधि का इस्तेमाल साइबर सुरक्षा परियोजनाओं)एनसीसीसी एवं अन्य (जैसी योजनाओं में किया जा सकता है जिसमें प्रस्तावित एनसीसीसी की स्थापना करने के साथ-साथ सीईआरटी-इन जैसे विद्यमान संगठनों के परिचालनात्मक व्यय को पूरा करना शामिल है। समिति यह भी आशा करती है कि दो संस्थानों अर्थात् मौजूदा सीईआरटी-इन और प्रस्तावित एनसीसीसी को एक दूसरे के पूरक के रूप में पूर्ण रूप से जोड़ा जाए और भारतीय साइबर क्षेत्र में उभरे खतरों का प्रभावशाली रूप से सामना करने के लिए निर्बाध सुरक्षा ढांचा उपलब्ध कराया जाए। समिति ने हाल में साइबर सुरक्षा के अत्यंत प्रचारित उल्लंघनों के ऊपर सावधान भी किया है और आग्रह किया है कि ऐसे खतरों से देश की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक बजटीय आवंटनों सहित तीव्रगामी उपाय किए जाएं।

सरकार का उत्तर

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, साइबर सुरक्षा योजना के वेतन और अन्य प्रतिष्ठान संबंधी व्यय प्रावधानों को **गैर-योजना के** रूप में अलग रखा गया है और परियोजना से संबंधित अन्य व्यय प्रावधानों को डिजिटल इंडिया प्रमुख योजना के तहत **योजना** के रूप में रखा गया है ।

एनसीसीसी एक बहु हितधारक निकाय है जिसमें एनएससीसी, एनसीआईआईपीसी, एनटीआरओ, सर्ट-इन आदि प्रमुख सरकारी हितधारक हैं। एनसीसीसी का उद्देश्य राष्ट्र के साइबर सुरक्षा में सुधार के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करना है। यह देखा जा सकता है कि सर्ट-इन भी इस परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। एक बहु-हितधारक इकाई के रूप में, हितधारकों ने प्रभावी खतरे के विश्लेषण के लिए केंद्र में अपनी जनशक्ति को तैनात किया है और भारतीय साइबर स्पेस में उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वय गतिविधियां की हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के प्रसार में वृद्धि के साथ देश में साइबर सुरक्षा की घटनाओं के साथ-साथ विश्व स्तर पर वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा मुद्रा बढ़ाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

i. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल)सर्ट-इन (नियमित आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और प्रतिकार के बारे में अलर्ट और सलाह जारी कर रही है। सर्ट-इन संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय सुरक्षा उपायों को सक्षम करने के लिए संगठनों को खतरे की जानकारी साझा कर रहा है।

ii. सरकार ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों)सीआईएसओएस) के लिए आवेदन/अवसंरचना और अनुपालन हासिल करने के लिए उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iii. सरकार सूचना सुरक्षा उत्तम पद्धति के समर्थन और लेखा परीक्षा कार्यान्वयन के लिए 90 सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध की है।

iv. सरकार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

v. साइबर सुरक्षा का छद्म अभ्यास नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा मुद्रा और संगठनों की तैयारियों का आकलन किया जा सके।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निधियों की कमी के कारण प्रभावित योजनाएं

(सिफारिश क्रम सं. 6)

समिति नोट करती है कि भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन हेतु तैयार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है अर्थात्)एक (प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना)दो (मांग आधारित प्रशासन और सेवाएं और)तीन (नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। इस तथ्य को ध्यान रखा जाए कि डिजिटल इंडिया का उद्देशय वृद्धि के नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना है, (एक) ब्रॉडबैंड हाइवेज)दो (मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक पहुंच)तीन (पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम)चार (ई-गवर्नेंस)पांच (ई-क्रांति)छह (सभी के लिए सूचना)सात (इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण)आठ (नौकरियों हेतु आईटी और)नौ (अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। यह आवश्यक है कि प्रत्येक घटक के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाए। तथापि, समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटन के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित निधियों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया। समिति नोट करती है कि 19-2018में मंत्रालय ने 5880.00करोड़ रुपए प्रस्तावित किया था जबकि केवल 3073.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वास्तविक उपयोग 3328.54करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, 2019-20 में 79931.14करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि की

तुलना में, वास्तविक आवंटन 3750.76करोड़ रुपए था और 31.01.2020तक वास्तविक उपयोग 2453.68करोड़ रुपए था। 21-2020में भी, 6940.00 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि की तुलना में मंत्रालय को 3958.00करोड़ रुपए की कम राशि आवंटित की गई है। पीएमजीदिशा और इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में निधियों की बढ़ती हुई आवश्यकता के साथ-साथ समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम हेतु जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, के लिए अधिक आवंटन करने के जोर डाले ताकि निधियों की कमी के कारण उप-योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव न पड़े।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है। आगे यह भी उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी परिदृश्य की वजह से, वित्त मंत्रालय)एमओएफ (ने एमईआईटीवाई के पहले तिमाही के खर्च को 15% और मासिक खर्च को % 5तक प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, एमओएफ ने इरादा किया है कि भारत सरकार को न केवल कम राजस्व जुटाने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि राहत और प्रोत्साहन पैकेजों की अतिरिक्त धन आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए उच्च व्यय की मांगों का भी सामना करना पड़ेगा। प्रचलित परिस्थितियों में, बीई 2020-21 के प्रावधान से बढ़कर अतिरिक्त कोष आवंटन की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है और संशोधित अनुमान स्तर पर या जब वित्त मंत्रालय द्वारा अनुपूरक मांगों के लिए अनुदान प्रस्ताव मांगे जायेंगे, तब वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया जाएगा ।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम योजनाओं के नियमित मूल्यांकन/निगरानी की आवश्यकता

(सिफारिश क्रम सं. 7)

समिति नोट करती है कि जब मंत्रालय से 16-2015से 20-2019के दौरान उन योजनाओं के बारे में पूछा गया जिनसे सबसे अधिक प्रगति हुई तथा जिनमें सबसे

कम प्रगति हुई, मंत्रालय ने बताया कि ऐसा कोई मूल्यांकन न तो नीति आयोग द्वारा अथवा न ही इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आर्थिक योजना प्रभाग द्वारा किया गया है। हालांकि, नीति आयोग के परामर्श से वर्तमान में एक तृतीय पक्ष का मूल्यांकन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संसदीय प्राक्कलन समिति ने वर्ष 20-2019के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित कई विषयों को जांच हेतु लिया है। समिति ने एमईआईटीवाई के संबंध में 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा' विषय को अध्ययन के लिए चुना है।

समिति यह जानककर आश्चर्यचकित है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के चार वर्ष बाद भी मंत्रालय ने अपनी योजनाओं की व्यापक समीक्षा नहीं की है और अपनी योजनाओं के सापेक्षिक निष्पादन को मापने के लिए 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा' विषय पर संसदीय प्राक्कलन समिति द्वारा तृतीय पक्ष के मूल्यांकन और जांच पर विश्वास कर रहा है। इसलिए समिति जारी योजनाओं के समय पर और व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश करती है ताकि किसी योजना के अपने अभीष्ट उद्देश्यों से भटक जाने की स्थिति में मंत्रालय सुधार की कोई पहल/उपचारात्मक उपाय कर सके।

सरकार का उत्तर

समयबद्ध व्यापक समीक्षा के लिए समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 'के तहत व्यक्तिगत उप-योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पहले ही शुरू किया जा चुका है और कुछ उप-योजनाओं की मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट के आधार पर उप-योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, मूल्यांकन की स्थिति 25.02.2020 को नीति आयोग को सूचित कर दी गई है और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

राज्य डाटा केन्द्र)एसडीसी(

(सिफारिश क्रम सं. 9)

वर्ष 20-2019के दौरान असम ,अरूणाचल प्रदेश और दादरा और नागर

हवेली तथा दमन एवं दीव में तीन एसडीसी को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। समिति को यह भी बताया गया कि 17-2016के दौरान हिमाचल प्रदेश और झारखंड में एसडीसी को चालू घोषित किया गया 18-2017 ,के दौरान गोवा और पंजाब में एसडीसी को चालू घोषित किया गया और 19-2018में उत्तराखंड और असम के लिए डाटा सेंटर ऑपरेटरों)डीसीओ (का चयन कर लिया गया है। आज की तारीख में 29राज्य डाटा सेंटर)एसडीसी (को चालू घोषित कर दिया गया है और तीन लंबित)संचालित होने वालेओ (एसडीसी में से असम में एसडीसी जल्द चालू हो जाएगा। तथापि ,समिति अरूणाचल प्रदेश तथा दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में एसडीसी की स्थापना की प्रगति को देखकर निराश है। अरूणाचल प्रदेश में अभी डीसीओ का चयन नहीं हुआ है। जबकि 28अगस्त 2019 ,को खोले जाने वाले जीईएम पोर्टल पर एसडीसी बोली मंगाई गई थी ,किसी भी वेंडर ने इसमें भाग नहीं लिया और बोली को पुन: रद्द कर दिया गया। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में निष्पादन नहीं होने के कारण डीसीओ को समाप्त कर दिया गया। वे पुन: नए सिरे से आरएफपी ला रहे हैं।

यह नोट करते हुए कि डेटा केन्द्र सेवाओं ,अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ,समिति सिफारिश करती है कि शेष राज्यों/केन्द्रों में राज्य डेटा केन्द्रों की तेजी से स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं ताकि वे सामान्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान कर सकें।

सरकार का उत्तर

देश भर के 35राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य डेटा केंद्र)एसडीसी (स्थापित करने की योजना को भारत सरकार द्वारा 24जनवरी 2008को अनुमोदित किया गया था। 5वर्ष की अवधि में पूंजीगत और परिचालन व्यय के मद में 1623.20करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आवंटित किया गया। एसडीसी परियोजनाओं को 29राज्यों में लागू किया गया है, 02केंद्रशासित प्रदेशों)दिल्ली और चंडीगढ़ (ने एसडीसी योजना से बाहर रहने का विकल्प चुना है।

चर्चा के तहत तीन एसडीसी के लिए किए गए कार्य नीचे दिए गए हैं:

.1असम:

- एसडीसी असम ने डाटा सेंटर ऑपरेटर अर्थात मैसर्स सिफी टेक्नोलॉज़ीज़ लिमिटेड का चयन किया है और उसे 2फरवरी 2019को कार्य आदेश जारी कर दिया है। एसडीसी असम का कार्यान्वयन पूरे जोरों पर है और बिना किसी बाधा के प्रगति कर रहा है। कार्यान्वयन शुरू होने की संभावित तारीख 31जुलाई 2020है।
- असम से निधि के लिए अनुरोध के आधार पर एमईआईटीवाई ने वित्तीय वर्ष 21-2020की अवधि के लिए निधियां जारी करने की पहल शुरू कर दी है।

.2दादरा और नगर हवेली:

- 26फरवरी, 2013को दादरा और नगर हवेली के लिए एसडीसी की स्थापना की परियोजना को मंजूरी दी गई। एसडीसी परियोजना के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों डीएसडी की आवश्यकताओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी।
- डीपीआर का कुल स्वीकृत परिव्यय 32.12करोड़ रुपए था।
- डीसीओ)डाटा सेंटर ऑपरेटर (के खराब प्रदर्शन के कारण जनवरी 2016में परियोजना समाप्त हो गई।
- केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एसडीसी परियोजना को लागू करने पर विचार कर रहा है।

.3अरुणाचल प्रदेश:

- अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एसडीसी की स्थापना के प्रस्ताव को समिति द्वारा सितंबर 2008को विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया था।
- डीपीआर का कुल स्वीकृत परिव्यय 31.81करोड़ रुपए है।

अरुणाचल प्रदेश एसडीसी टीम द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर

आरएफपी पर काम करने हेतु एक परामर्शदाता को काम पर रखने के लिए एक ईओआई)अभिरुचि की अभिव्यक्ति (प्रकाशित की गई है।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा

(सिफारिश क्रम सं. 10)

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 20-2019के दौरान इस योजना के लिए बजट आवंटन 986.00करोड़ रुपए था जिसे सं.अ. चरण में घटाकर 690.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 31.01.2020को वास्तविक व्यय 501.54 करोड़ रुपए था। वर्ष 21-2020के लिए 1545करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के मुकाबले 980.00करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। समिति को बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है और यह 17-2016के 5.10,258करोड़ रुपए से बढ़कर 18-2017के दौरान 6,21,797करोड़ रुपए हो गई तथा 19-2018के दौरान यह 6,95,207करोड़ रुपए रही। वर्ष 19-2018के दौरान घरेलू उत्पादन के माध्यम से 57% मांग पूरी की गई जबकि शेष 43% आयात के माध्यम से पूरी की गई जो 19-2018के दौरान भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी आयात के आंकड़े के 2,98,939.01करोड़ रुपए के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंचाता है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी संबंधि राष्ट्रीय नीति 100 ,2019प्रतिशत एफडीआई ,संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना)एमएसआईपीएस ,(इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर)ईएमसी (योजना और इलेक्ट्रॉनिकी विकास कोष)ईडीएफ (चरणबद्ध विनिर्माण)पीएमपी ,(टैरिफ ढांचे का युक्तिकरण ,मेक इन इंडिया को वरीयता आदि जैसे कई कदम उठाए हैं जिससे स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी औऱ आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त हो। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त पहलों के कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात की सीमा से अधिक का हो गया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 18-2017के 3,88,306करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष -2019 20में 5,46,550करोड़ रुपए का हो गया।

उपयोक्त आंकड़ों पर ध्यान देते हुए ,जोकि सही दिशा में प्रगति की ओर इशारा करता है ,समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह इन उपायों को जारी रखे और उसे कायम रखे ताकि इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके और अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिकी के आयात पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहल की हैं और इस संबंध में उपायों को जारी रखने और बनाए रखन के लिए सिफारिश की है ,जबकि यह भी संतोष व्यक्त किया है कि उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन इन के आयात से अधिक हुआ है । भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन वर्ष 18-2017से 3,88,306करोड़ रु .से बढ़कर 20-2019में 5,46,550करोड़ हो गया ।

इसके अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई मौजूदा पहलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारी निवेश को प्रोत्साहित करने और घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं अधिसूचित किया गया है।

I. **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना)पीएलआई (**

असेंबली ,परीक्षण ,मार्किंग और पैकेजिंग)एटीएमपी (यूनिटों सहित विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करे और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 01अप्रैल 2020 ,को राजपत्र अधिसूचना सं.सीजी-डीएल-ई 218990-01042020-के जरिए अधिसूचित की गई पीएलआई योजना उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

- इस योजना के तहत परिभाषानुसार आधार वर्ष के बाद पांच (5)वर्ष की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्षित सेग्मेंट के तहत शामिल और भारत में विनिर्मित माल की वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
- यह योजना 4महीने की अवधि के लिए यानी 31.07.2020 तक आवेदन के लिए खुली है । आधार वर्ष के बाद योजना के तहत सहायता पांच (5)वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

II. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना)एसपीईसीएस (

दिनांक 01अप्रैल 2020 ,को अधिसूचित की गई राजपत्रित अधिसूचना सं . सीजी-डीएल-ई 218992-0102020-के जरिए अधिसूचित)एसपीईसीएस योजना देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंक्टरों के घरेलू विनिर्माण केलिए अक्षमता को हटाने में मददगार होगी।

- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, अर्थात उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संघटक, अर्धचालक/डिस्प्ले निर्माण इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष सब-असेम्बलियां और पूंजीगत सामान शामिल हैं, जिनमें से सभी में उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण शामिल होता है।
- यह योजना नई इकाइयों में निवेश और मौजूदा इकाइयों के क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए लागू होगी। योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है।

- पूंजीगत व्यय अनुसंधान और विकास)आर एंड डी (सहित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, संबद्ध उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी में शामिल कुल व्यय होगा।
- यह योजना इसकी अधिसूचना की तारीख से 3 साल के लिए आवेदन हेतु खुली है। योजना के तहत प्रोत्साहन आवेदन की पावती की तारीख से लागू होगा। प्रोत्साहन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होगा।

iii. **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना)ईएमसी 2.0)**

संशोधित इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर्स)ईएमसी 2.0) योजना को 01 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना सं .सीजी-डीएल-ई-.01042020-218991 के जरिए अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से इन समूहों में इकाइयां स्थापित करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण में प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए सहयोग प्रदान करना है जिसमें रेडी बिल्ट फैक्ट्री)आरबीएफ) शेड/प्लग और प्ले सुविधाओं सहित आम सुविधाएं और सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

- यह योजना आपूर्ति श्रृंखला की जवाबदेही, आपूर्तिकर्ताओं के समेकन, बाजार तक पहुंचने में समय की कमी, कम रसद लागत आदि को मजबूत करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच संबंध को मजबूत करेगी।
- ईएमसी 2.0 योजना पूरे देश में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों)सीएफएस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टरों के लिए ईएमसी 2.0 योजना के तहत प्रत्येक 100 एकड़ जमीन के लिए 70 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बड़े क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र प्रतिबद्धता के लिए प्रो-रेटा सीलिंग लागू होगी, जो प्रति परियोजना 350 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। ।

- ईएमसी परियोजनाओं के लिए एंकर इकाई)इकाइयों (या उद्योग को कम से कम 20% बिक्री योग्य/पट्टे योग्य भूमि क्षेत्र लेने)खरीद या लीज़ पर (और 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए।
- रेडी बिल्ट फैक्टरी)आरबीएफ (शेड/प्लग एंड प्ले सुविधा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर के भीतर कम से कम 10% बिक्री योग्य/देय भूमि में प्रदान की जानी चाहिए।
- यह योजना अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धन के संवितरण हेतु 5 वर्ष की आगे की अवधि उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान "इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने "की योजना पर व्यय के संबंध में यह कहा जाता है कि योजना के लिए बीई चरण पर आवंटन 986.00 करोड़ रुपए था, जिसे आरई चरण पर घटाकर 690.00 करोड़ रुपए कर दिया गया और दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण में व्यवधान के बावजूद वास्तविक व्यय 655.02 करोड़ रुपए रहा।

इलेक्ट्रॉनिक्स संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना)एमएसआईपीएस(पर राष्ट्रीय नीति

(सिफारिश क्रम सं. 11)

समिति नोट करती है कि देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जुलाई 2012में एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना)एम-एसआईपीएस (की घोषणा की गई थी ताकि असमर्थता को दूर किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण)ईएसडीएम (उद्योग में निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों)एसईजेड (में निवेश केलिए 20प्रतिशत और गैर-एसईजेड में 25 प्रतिशत की-सब्सिडी प्रदान करती है। प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों तथा संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले घटकों के 44

वर्गों/श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। इस योजना की अवधि बढ़ाने 15 ,और उत्पाद श्रेणियों को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त 2015 ,में इसमें संशोधन किया गया है। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी 2017 ,में इस योजना में और संशोधन किया गया। एम-एसआईपीएस योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए 3दिसंबर 2018 ,तक खुली थी और अब कार्यान्वयन के चरण में है। आवेदन के अनुमोदन की तिथि से 5वर्ष की अवधि तक के ले योजना के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। फरवरी 2020 ,तक एमएसआईपीएस के अंतर्गत 1,07,964.11करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 396सक्रिय आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से 72,649.83करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 259आवेदनों को मंजूरी दी गई है। एमएसआईपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के संवितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अभी तक 72 आवेदकों को 900.39करोड़ रुपए के प्रोत्साहन संवितरित किए गए हैं। समिति यह करती है कि 13-2012से 16-2015तक मंत्रालय को प्राप्त नए प्रस्तावों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई और उसके बाद 17-2016से 18-2017तक इसमें गिरावट आई। 19-2018के दौरान ,योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के अंतिम वर्ष में नए प्रस्तावों की प्राप्ति 170तक पहुंच गई थी।

समिति यह नोट करने कर क्षुब्ध है कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निपटान की गति बहुत धीमी रही है। आवेदकों के लिए योजना 31 दिसंबर 2018 , तक खुली थी और 13-2012ये लगभग 400प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हालांकि फरवरी 2020तक अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 14माह बाद तक मंत्रालय द्वारा लगभग 35,314.28करोड़ रूपए के निवेश के 137प्रस्तावों को अभी मंजूर किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान रखकर कि इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों की आयु लगातार घट रही है और कतिपय श्रेणियों में छह माह से भी कम होने का अनुमान है इसलिए यह अत्यावश्यक है कि नविेश संबंधी प्रस्तावों को धीघ्रता से निपटाया जाए। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन कें विलंब से संपूर्ण् परियोना अव्यवहार्य हो सकती है और विनिर्माता विनिर्माण सुविधा लगाने के लिए कहीं और स्थान देखने को मजबूर हो सकता है। इसलिए ,समिति

सिफारिश करती है कि संवर्धित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना)एमएसआईपीएस (के अंतर्गत लंबित आवेदनों की निपटान प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि त्वरित गति से प्रोत्साहन मिले जिसके अभाव में योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समिति लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति , प्रस्तावों के अनुमोदन में लगने वाले औसत समय औसत समय से भी अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

एम-सिप्स के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

19 जून, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, 1,05,373 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ एम-सिप्स के तहत 368 अनुप्रयोग सक्रिय हैं। । इन 368 अनुप्रयोग में से अनुमोदन के लिए लगभग 83,053 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 290 अनुप्रयोग या तो अनुमोदित या अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसित किए गए हैं । 22,320 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 78 आवेदन मूल्यांकन के अधीन हैं।

अनुप्रयोगों के निपटान की धीमी गति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 368 अनुप्रयोगों में से 146 आवेदन पत्र दाखिल करने की योजना के बंद होने से पहले दिसंबर 2018 के आखिरी महीने में ही प्राप्त हुए थे। इन परियोजनाओं के अनुमोदन की देरी आंशिक रूप से परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवेदकों की तत्परता की कमी के कारण है। इन अनुप्रयोगों में से कई को आवेदक द्वारा जमीन की उपलब्धता और वित्तीय समापन के अनुपालन के लिए उनकी तत्परता के बिना योजना के तहत उनके आवेदन को सुरक्षित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

चूंकि यह योजना बड़ी संख्या में सार्वजनिक निधियों के साथ काम कर रही है, ऐसे में तुच्छ अनुप्रयोगों और गैर-गंभीर निवेशकों से बचने के लिए, परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत अनुमोदन प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें

परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए नियुक्ति एजेंसियों को नियुक्त किया गया है, जो अंतर-मंत्रालयी मूल्यांकन समिति)एसी (को मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करती है जिसका नेतृत्व सचिव एमईआईटीवाई द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में, 78 अनुप्रयोगों को "मूल्यांकन के तहत "के रूप में दिखाया गया है। लगभग सभी आवेदक बार-बार फॉलो-अप के बावजूद या तो सभी या सभी दस्तावेजों को जमा नहीं कर पाए हैं। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना की मंजूरी और प्रोत्साहन प्रतिबद्धता के लिए ये नितांत आवश्यकताएं हैं:

i. वित्तीय समापन: परियोजना को निधि देने की क्षमता)या तो बैंक ऋण या इक्विटी या आंतरिक अभिवृद्धि आदि के माध्यम से(
ii. परियोजना भूमि का कब्ज़ा
iii. मात्रा, दरों और कोटेशन के साथ खरीदी जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं की सूची।

ये शेष आवेदक उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के लिए अधिक समय मांग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस योजना की प्रचार प्रकृति और फोर्स मेजर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन अनुप्रयोगों को अनुपालन की स्थिति की कमी के लिए बंद नहीं किया गया है, हालांकि इनमें से कई को नोटिस दिए गए हैं और कोविड -19 अवधि में इस मामले के बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुमोदन और प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी को कम करने के लिए, मंत्रालय / मूल्यांकन एजेंसी/सत्यापन एजेंसी द्वारा दस्तावेजी आवश्यकताओं और अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में आवेदकों को शिक्षित करने के लिए नियमित आधार पर कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की जाती है। अनुप्रयोगों की स्थिति की निगरानी और देरी या तो अनुप्रयोगों को मूल्यांकन या संसाधित करने में सचिव एमईआईटीवाई द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है और सभी अनुप्रयोगों को समयबद्ध तरीके से बंद करने की कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान लंबित स्थिति निम्नानुसार है:

78 आवेदन मूल्यांकन एजेंसियों के साथ मूल्यांकन के अधीन हैं। आवेदक योजना/दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। वित्तीय समापन और भूमि उपलब्धता के बाद परियोजना के अनुमोदन में लिया गया औसत समय आवेदक द्वारा पुष्टि की गई हैं जो 45 दिन का है।

7 संवितरण दावे सम्बंधित निवेश सत्यापित किए गए हैं और अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। सत्यापन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के तहत 5 दावा सम्बंधित अनुप्रयोगों है। प्रोत्साहन के संवितरण में लिया गया औसत समय लगभग 60 दिन है।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर्स)ईएमसी (योजना

(सिफारिश क्रम सं. 12)

समिति नोट करती है कि विश्व-स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सहायता देने तथा ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड क्लस्टरों दोनों में निवेश आकृष्ट करने हेतु सामान्य सुविधाएं देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना 22अक्तूबर 2012 ,को अधिसूचित की गई थी। यह योजना 5वर्षों की अवधि अर्थात् 21अक्तूबर 2017 ,तक आवेदन करने हेतु खुली थी। अगले 5वर्ष की अवधि)अक्तूबर 2020 ,तक (अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधि संवितरण हेतु है। ग्रीनफीड ईएमसी में परियोजना हेतु सहायता परियोजना लागत की 50प्रतिशत तक उपलब्ध है जो प्रत्येक 100एकड़ भूमि के लिए 50करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन है। ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए अवसंरचना लागत का 75प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया गया है जो अधिकतम 50करोड़ रूपए होगा। योजना के अंतर्गत पूरे देश के 15राज्यों में 20ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3सामान्य सुविधा केन्द्रों)सीएफसी (को मंजूर किया गया और इसका कुल क्षेत्रफल 3565एकड़ है जिसकी कुल परियोजना लागत 3898करोड़ रूपए है जिसमें 1577करोड़ रूपए का सरकारी सहायता अनुदान)जीआईए (मंजूर किया गया है। 1577करोड़ रूपए के कुल अनुमोदित जीआईए में से फरवरी 2020 ,तक अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 595करोड़ रूपए का जीआईए जारी किया गया

है। शेष 982करोड़ रूपए का जीआईए अक्तूबर 2022 ,तक जारी किया जाना है।

समिति पाती है कि 13-2012से 18-2017तक योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमश,4 : ,18 ,12 ,12 3और 1है जो इस क्षेत्र की भारी संभावना की तुलना में बहुत उत्साहजनक नहीं है। अक्तूबर 2022 , तक वितरण जारी रहेगा ,इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ईएमसी योजना के लिए पर्याप्त निधि आवंटन सुनिश्चित किया जाए और सहायता अनुदान की परवर्ती किस्तें समय पर जारी की जाएं ताकि ये परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष परिवर्तन ला सकें।

सरकार का उत्तर

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स)ईएमसी (स्कीम और इसके प्रोजेक्ट्स के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त उपायों का ध्यान रखा जाता है। प्रयोजना समीक्षा समिति)पीआरसी) द्वारा प्रोजेक्ट विकासात्मक गतिविधियों का आकलन करने, प्रयोजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं और समय पर परियोजनाओं को अनुदान सहायता जारी करने के लिए अपेक्षित आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों का सख्ती से अनुसरण किया जा रहा है और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए व्यापक समर्थन प्रदान किया जाता है। आरई चरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 117.66 करोड़ रुपये की प्रावधानित राशि का पूरा उपयोग किया गया और परियोजनाओं को जारी किया गया। इसके अलावा ईएमसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में बीई स्टेज पर 139 करोड़ रुपये के प्रावधान के अनुसार निधि जारी करने के लिए अपेक्षित कदम पहले ही शुरू हो चुके हैं। 7.71 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता पहले ही अप्रैल 2020 में जारी किए जा चुके हैं । इन रिलीज के साथ, अब तक ईएमसी योजना के तहत 619.25 करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

(सिफारिश क्रम सं. 17)

समिति नोट करती है कि वर्तमान में अनुमानित वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग 413 बिलियन यूएसडी का है जिसमें से भारत का हिस्सा माल 7.1 बिलियन यूएसडी है जिसमें से 2.3बिलियन यूएसडी निर्यात है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उत्पादों का आयात लगभग 1बिलियन यूएसडी का है। अत :भारत सॉफ्टवेयर उत्पादों का वास्तविक आयात है। आईटी उद्योग की समग्र वृद्धि के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28फरवरी 2019को सॉफ्टवेयर उत्पादों 2019-पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी जिसके माध्यम से सरकार द्वारा शिक्षा जगत और उद्योग के समन्वित प्रयास से एक मजबूत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन किया जा सके ,जो अधिक संख्या में सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप्स के लिए उत्पादन आधार तैयार कर सके और आरएण्डडी एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितकी तंत्र का विकास कर सके तथा उसका संवर्धन करे एवं घरेलू मांग में सुधार कर सके ताकि भारत एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में विकसित हो सके । योजना के अंतर्गत पहल में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन)एनएसपीएम (का गठन इंडियन सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट रजिस्ट्री)आईएसपीआर (का सृजन सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि)एसपीडीएफ (का गठन और नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेसन स्कीम)एनजीआईएस (आदि शामिल हैं।

लोकप्रिय अवधारणा के विपरीत इस सत्य को नोट करते हुए कि वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में भारत का हिस्सा काफी कम है तथा भारत सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक वास्तविक आयातक भी है ,समिति का विचार है कि सॉफ्टवेयर प्राडक्ट वैल्यू चैन को बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि एक अनुकूल (कंडूसिव) सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए, मुख्यत: सेवा अनुकूलित भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग को एक प्रौद्योगिकी अन्मुख उत्पादों और सेवा उद्योग में परिवर्तित किया जाए। इसके लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत कल्पित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करे तथा हर एक घटक के तहत की गई वास्तविक प्रगति से समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति-2019 के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है/कार्यान्वयन किया जाना है:

I. कार्यान्वित किया गया :

1. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन)एनएसपीएम): राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन)एनएसपीएम) का गठन सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति)एनपीएसपी 2019) के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और रणनीति को विकसित करने और निगरानी हेतु किया गया है।

2. भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री)आईएसपीआर:(भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री)आईएसपीआर (को भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों)आईएसपीसी (की संख्या/आंकड़ों/डेटाबेस का विश्लेषण करने और एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सॉफ्टवेयर उत्पादों को लाने के लिए बनाया गया है। आईएसपीआर की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

—भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद के एक सामान्य पूल के रूप में कार्य करता है जहां एक विश्वसनीय व्यापारिक वातावरण प्रदान किया जाता है।

—लाखों वैश्विक कंपनियो के लिए एक्सपोजर के साथ भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनी)आईएसपीसी) के लिए प्रवेश द्वार के रूप में सेवा।

—सरकार ई-बाज़ार का एक हिस्सा होने के लिए)जीईएम) आईएसपीसी के लिए कोर पहचान आधार

—बाद में, वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की सुविधा।

—भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों के लिए डाटाबेस, के आसपास किसी भी विश्लेषण की मदद से भारत में विकसित उत्पादों डोमेन, क्षेत्रों, भू-क्षेत्रों की तरह हैं जो वर्तमान में कार्य करता है।

—उद्योग-वार सूची उत्पाद, प्रौद्योगिकी-वार, इच्छित दर्शक)बी2बी,

बी2सी, बी2जी), उत्पाद अवस्था आदि।
—नवीनतम खबर /घटनाओं पर अद्यतन

आईएसपीआर (www.ispr.gov.in) को 21 अक्टूबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। अभी तक, 500 से अधिक उपयोगकर्ताओं, 125 सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों और 160 सॉफ्टवेयर उत्पादों को सफलतापूर्वक आईएसपीआर पर पंजीकरण के लिए लागू किया गया है। इनमें से, 80 से अधिक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों के सॉफ्टवेयर उत्पाद)ओं (पर स्वामित्व है और 60 से अधिक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद आवेदकों द्वारा आंतरिक सत्यापन और घोषणाओं के बाद प्रदान किए गए पोर्टल पर लाइव प्रदर्शित किए गए हैं।

3. अगली पीढ़ी की ऊष्मायन योजना)एनजीआईएस:(अगली पीढ़ी की ऊष्मायन योजना)एनजीआईएस (को सॉफ्टवेयर उत्पाद)एनपीएसपी 2019) पर सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और राष्ट्रीय नीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संबोधित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। निरंतर विकास, नए रोजगार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु सुदृढ़ आईटी उद्योग के पूरक के लिए एक जीवंत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना की गई है ।

एनजीआईएस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

— समाधानों /भविष्य की समस्याओं हेतु उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों / उभरती हुई आईसीटी प्रौद्योगिकीयों /सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाले स्टार्ट-अप्स की पहचान करना
— तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से इन्हें बढ़ावा और व्यापार समाधानों /समर्थित निगरानी करने /प्लग-एन-प्ले सुविधा /सुरक्षा और सुभेद्यता परीक्षण सुविधा और एक "चैलेंज /इंटर्नशिप अनुदान "

पर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

— योजना को 12 स्थानों यानी अगरतला, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ/प्रयागराज, मोहाली/चंडीगढ़, पटना और विजयवाड़ा में शुरू की गई है।

इस योजना को अनुमोदित किया गया है और इसे छत्र चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के पास समाधान आधारित सरंचना है और इसका उद्देश्य 300 तकनीकी स्टार्ट-अप को संभालना है। योजना के तहत इस दौरान सामना किए गए मुद्दों/चुनौतियों और बाद में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उत्पादों और समाधानों को खोजने हेतु प्रगामी उन्मुक्त प्रौद्योगिकी नवाचार द्वारा एनजीआईएस के तहत "चैलेंज कोविड -हैडवे "नामक एक ऑनलाइन आइडिया चैलेंज प्रतियोगिता के माध्यम से पहला चैलेंज शुरू किया जा रहा है।

4. **सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत आईसीटी ग्रैंड चैलेंज)आईसीटीजीसी :(**सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति में कम से कम 20 ग्रैंड चैलेंज आयोजित करने का प्रावधान है ताकि सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने वाले विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित किया जा सके। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज)आईसीटीजीसी) योजना को निर्दिष्ट क्षेत्र में चार चुनौतियों का संचालन करके अभिनव सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। पहली)1) आईसीटीजीसी का घर से कार्य)डब्ल्यूएफएच (क्षेत्र से किया जा रहा है। सही स्टार्टअप /एमएसएमई का चयन करने के लिए आईसीटीजीसी के अनुसार विस्तृत योजना उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है जो उपयुक्त घर से कार्य)डब्ल्यूएफएच (उत्पाद /समाधान निर्मित करने में सक्षम है। यह कार्य पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण में संगठनों के निर्बाध प्रचालन /व्यापार निरंतरता के लिए दूर से कार्यो को निष्पादित करने में कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। आगामी आईसीटीजीसी द्वारा जनसामान्य हेतु कृषि तकनीक और शिक्षण तकनीक पर ध्यान केंद्रित

किया जाएगा।

5. **भारतीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान)सॉफ्टवेयर उत्पाद(के विकास के लिए नवाचार चुनौती :** अभिनव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान विकसित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान के विकास के लिए नवाचार चुनौती का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंतिम उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय वीडियो और ऑडियो गुणवत्ता के साथ बराबर में एक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद होगा, कम और उच्च नेटवर्क परिदृश्यों में काम करना चाहिए। यह पहल सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत परिकल्पित भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।

II. कार्यान्वयन/विकास के अधीन:

1. सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए मॉडल आरएफपी टेम्प्लेट: व्यापार की सहूलियत)ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (को सुनिश्चित करने के लिए और सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को पनपने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु, मॉडल आरएफआईडी टेम्प्लेट के सृजन के जरिए आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद खरीद प्रक्रिया का मानकीकरण और सामंजस्य करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से, उत्पाद आधारित सोच को बढ़ावा देना और विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने की संस्कृति विकसित करना जो 'मेड इन इंडिया' हैं और सॉफ्टवेयर उत्पाद डोमेन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है । आरएफपी टेम्पलेट का ड्राफ्ट मॉडल तैयार है और अंतिम रूप देने के तहत है।

2. सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एचएस कोड: आईटी सॉफ्टवेयर)उत्पादों और सेवाओं (को एक एकल एचएस कोड यानी 8523 80 20 - सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है। एनपीएसपी 2019 के तहत, यह परिकल्पित और प्रस्तावित है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली को एक मॉडल एचएसएन कोड के

माध्यम से विकसित किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए अलग एचएसएन कोड की गैर उपलब्धता के कारण, प्रामाणिक /उद्योग के आशाजनक सांख्यिकीय आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। सॉफ्टवेयर उत्पादों और सॉफ्टवेयर सेवाओं के समुचित वर्गीकरण से सॉफ्टवेयर उद्योग)अलग से सॉफ्टवेयर उत्पाद और सॉफ्टवेयर सेवाएं (की ट्रैकिंग करने में फायदा होगा। सॉफ्टवेयर उद्योग ट्रैकिंग डेटा उत्पन्न करेगा जो सॉफ्टवेयर उद्योग के आयात, निर्यात और विस्तार को मापने में मदद करेगा, जो भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के संवर्धन और विस्तार के लिए सूचित करने और समर्थित निर्णय लेने में और अधिक मदद करेगा।

नए एचएसएन कोड के सूत्रीकरण /अधिसूचना के बारे में मामला संबंधित विभागों यानी राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के लिए उठाया गया है और इस मुद्दे पर तेजी से नज़र रखने के लिए सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान किया जा रहा है।

3. सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि)एसपीडीएफ:(सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति)एनपीएसपी (ने फंड ऑफ फंड्स) एफओएफ) के रूप में समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास फंड)एसपीडीएफ(की स्थापना की है। एसपीडीएफ का उद्देश्य जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए वेंचर फंड का समर्थन करना है ताकि बाजार के तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों की स्केलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। समर्थित डॉटर निधि देश के भीतर सॉफ्टवेयर उत्पाद के नवाचार, डिजाइन और विकास को बढ़ावा देगी। कोई भी डॉटर फंड जो भारत में पंजीकृत है प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करता है जिसमें वेंचर फंड्स पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)सेबी) के विनियम शामिल है, एसपीडीएफ के समर्थन के लिए पात्र होगा।

यह अनुमानित है कि एसपीडीएफ में 1,000 करोड़ रुपये के सरकारी निवेश

का भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र पर 125 गुना असर हो सकता है, जो उच्च प्रतिफल सुनिश्चित करते हुए, किसी भी केन्द्रित जोखिम के खिलाफ संरक्षित है। इसके अलावा, यह पारिस्थितिकी तंत्र कम से कम 50,000 करोड़ रुपये के संयुक्त उद्यम मूल्यांकन के साथ कम से कम 100 भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को सृजित करने में मदद कर सकता है और जो कम से कम 20,000 नौकरियां सृजित करेगा। एसपीडीएफ का प्रस्ताव देने हेतु अंतिम रूप में है।

4. सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार योजना: सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास)राइज़4 सॉफ्टवेयर उत्पाद (के लिए एक अनुसंधान और नवाचार योजना तैयार की गई है जिसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक-निजी-साझेदारी)पीपीपी (प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस योजना की रीढ़ पहचान संगठनों को उत्पाद और प्रक्रिया विकास के संदर्भ में अपनी क्षमता का एहसास कराने और उन्हें बाजार में ले जाने के लिए सक्षम बनाना है ताकि भारतीय आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया जा सके। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार, एमएसएमई, स्टार्टअप द्वारा जोखिम लेने और निजी उद्योग, सार्वजनिक संस्थानों और सरकार को एक स्थान पर लाने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रस्ताव पर काम चल रहा है।

5. सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र हेतु आर एंड डी क्रेडिट योजनाएं: सॉफ्टवेयर उत्पादों पर आर एंड डी टैक्स क्रेडिट के लिए नए कार्यक्रम की समीक्षा करने और तैयार करने के संबंध में, सरकार, शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पांच विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की गई है । प्रस्ताव मसौदा तैयार किया जा रहा है।

क (सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास हेतु सहायता कार्यक्रम में अनुसंधान और विकास अनुदान।

ख (सॉफ्टवेयर उत्पाद नवाचार अनुसंधान क्रडिट कार्यक्रम की स्थापना करना।

ग (टैक्स क्रेडिट स्थगित करना।

घ) सॉफ्टवेयर पेटेंट को अनुमति देने के लिए पेटेंट अधिनियम को बदलना।

इ (आईपी फाइलिंग और रखरखाव के लिए समर्थन देना।

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

डिजिटल लॉकर सिस्टम -प्रचार और उपयोग

(सिफारिश क्रम सं.8)

समिति नोट करती है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम या डिजिलॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन करने का एक मंच है जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग समाप्त हो जाता है। डिजिलॉकर ने डिजिटल वॉलेट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल प्रारूप में पहचान, शिक्षा, परिवहन, वित्त और नगरपालिका संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रदान करने का प्रयास किया है। जारीकर्ताओं के साथ संपर्क करने, उनके दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और अंतत :इन डिजिटल दस्तावेजों को नागरिकों के बीच वितरित करने में मदद करने के महती कार्य के परिणामस्वरूप 373करोड़ से अधिक प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता संभव हुई है। अगला कदम यह है कि नागरिकों को सेवाएं देते समय इन दस्तावेजों को सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाया जाए। डिजिटल लॉकर सिस्टम में 3.59करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और हर महीने औसतन 2करोड़ प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रति दिन औसतन 30, 000नागरिक साइन अप कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और जारी करने वाले विभागों में यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार, एमओआरटीएच द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण, एमओपीएनजी द्वारा जारी एलपीजी उपभोक्ता वाउचर, सीबीडीटी द्वारा पैन सत्यापन के रिकॉर्डस, लगभग 20राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट प्रमाणपत्र, लगभग चार राज्यों के भूमि से संबंधित अभिलेख शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी डिजिलॉकर को नेशनल एकेडेमिक डिपॉजिटरी)एनएडी (बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। तथापि, सेवा परिदान हेतु डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है। इसके

लिए विभिन्न नियामक तंत्रों के संबंधित अधिनियमों और नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। डिजिलॉकर प्रणाली के प्रसार में बाधा डालने के प्रमुख कारणों में केंद्रीय डिजिटलीकरण अधिदेश की कमी, डिजिटल दस्तावेज स्वीकार करने के लिए नियामक ढांचे में प्रावधानों का अभाव, सेवाएं प्रदान करने के विषय पर सरकारी विभागों में दस्तावेजों के डिजिटल उपयोग की प्रवृत्ति का अभाव तथा सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच डिजिलॉकर के उपयोग के प्रति जागरूकता का अभाव शामिल हैं। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने डिजिलॉकर से उपलब्ध दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए डिजिटल लॉकर नियम, 2016 तथा आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित इसके नियम 9क, 2017 के संशोधन जैसे कदम उठाए हैं। एमईआईटीवाई ने इस सुविधा के संवर्धन और प्रभावी उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम किया है। एमईआईटीवाई डिजिलॉकर आधारित डिजिटल दस्तावेज लेनदेन प्रणाली को अपनाने के लिए ट्राई, इरडा, सेबी, ईसीआई आदि जैसे नियामक प्राधिकरणों के साथ भी संपर्क में है, जो बाद में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगी।

समिति का मानना है कि डिजिलॉकर एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल है लेकिन आज तक केवल 3.59करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ ,इसकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हो सका है। डिजिटल लॉकरों के अपनाए जाने को बढ़ावा देने और हर जगह मूल दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता को दूर करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति यह महसूस करती है कि नागरिकों को सेवाएं देते समय सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा डिजिटल दस्तावेजों की खपत को बढ़ावा देना अगली बड़ी चुनौती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिनियमों/नियमों में सुधार/संशोधन की आवश्यकता होगी। मंत्रालय की इस पहल से सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भंडारण और उपयोग समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। समिति एक डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण की सिफारिश करती है जो सभी क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति को बढ़ावा दे। नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर इस अपनाए जाने के लिए डिजिलॉकर का उचित

प्रचार भी किया जाए। समिति को इस संबंध में उठाए गए पहलों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

वर्तमान में डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर 3.87 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण किया है और 156 एजेंसियों ने 378 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए हैं।

नीति स्तर की पहल

एमईआईटीवाई अपनी संबंधित प्रक्रियाओं में डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देने के लिए नीतिगत स्तर में बदलाव के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों) वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी, भारत निर्वाचन आयोग, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएचआरडी आदि(, भारतीय रिज़र्व बैंक, एसईबीआई) सेबी(, आईआरडीए, टीआरएआई और उद्योग जैसे विनियामक प्राधिकरणों के साथ संबंध रख रहा है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने सभी विनियमित संस्थाओं को अपने मास्टर कस्टमर केवाईसी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जो डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेज़ों को वैध आधिकारिक तौर पर सीन एंड वेरिफाइड) ओएसवी) केवाईसी दस्तावेज़ों के रूप में उपयोग करने के लिए हैं, जिन्हें आगे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने ग्राहक केवाईसी के एक भाग के रूप में डिजिलॉकर के माध्यम से संपादन की स्वीकृति के लिए पीएमएलए दिशानिर्देश में संशोधन को अधिसूचित किया है।

सेबी ने आरबीआई मास्टर केवाईसी निर्देशों की तर्ज पर एक अधिसूचना भी जारी की है।

इसके अलावा, डिजिलॉकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया

है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) यूजीसी) के सहयोग से एमईआईटीवाई के डिजिलॉकर टीम ने डिजीलॉकर के माध्यम से सभी केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पुरस्कारों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास शुरू किया है। यह डिजिटल रूप से जारी किए गए दस्तावेजों की उपयोग के लिए एक बहुत आवश्यक प्रेरणा प्रदान करेगा। यह छात्रों, पात्रता मूल्यांकन निकायों और सत्यापित संस्थाओं अर्थात बैंकों, नियोक्ताओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों को अनुमति देगा, सरकारी एजेंसियों को आगे प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए किसी भी आवश्यकता के बिना वास्तविक समय में शैक्षिक क्रेडेंशियल्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने का साधन है।

जागरूकता और संचार

35 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट लेवल ऑन-बोर्डिंग और जागरूकता कार्यशालाएं हुई हैं। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य राज्यों में वरिष्ठ नेतृत्व को डिजिलॉकर सक्षम सेवाओं के लाभ से अवगत कराना है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सक्षम सेवाओं के साथ-साथ उनकी ई-गवर्नेंस सेवाओं के भीतर डिजीलॉकर सेवाएं प्रदान करने के विभिन्न माध्यम हैं। इस संबंध में, 5 राज्यों)केरल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा (ने पहले ही सभी राज्य विभागों की प्रक्रियाओं में डिजीलॉकर सेवाओं को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, 14 राज्यों के परिवहन विभागों ने परिवहन नियमों के कार्यान्वयन के तहत डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को स्वीकार करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

डिजिलॉकर और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिलॉकर टीम नागरिक जुड़ाव में सक्रिय रूप से शामिल है। यह उत्पाद जागरूकता पैदा करने, डिजिलॉकर के उपयोग को बढ़ाने और सेवाओं के निरंतर सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करने के लिए लक्षित दर्शकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर सामग्री प्रकाशित करना, अनुयायियों को सुनना और उलझा देना और साइनअप

दरों में वृद्धि करना शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका हम उपयोग)फिलहाल (कर रहे हैं वे हैं; फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन हैं।

डिजिलॉकर इकोसिस्टम को विस्तार करना

डिजिलॉकर टीम डिजिटल लॉकर सेवाओं की पेशकश करने के लिए अन्य सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को सक्षम करने के लिए अद्यतन डिजिटल लॉकर लाइसेंसिंग विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए यूआईडीएआई के साथ संपर्क में है। यह देश के भीतर डिजिटल लॉकर प्रणाली के पदचिह्न का विस्तार करने में मदद करेगा।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 देखें)

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर ,विनिर्माण का संवर्धन -प्रमुख बाधाएं

(सिफारिश क्रम सं. 13)

समिति नोट करती है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को हो रही प्रमुख बाधाओं में डब्लूटीओ का आईटीए शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक पहला क्षेत्र या जिसे जो पहली बार खोला गया और जिसने बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए शून्य प्रशुल्क प्रणाली स्वीकार की । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ (की सूचना प्रौद्योगिकी समझौता) 1-आईटीए (1-के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने 217टैरिफ लाइनों पर शून्य प्रशुल्क प्रणाली कार्यान्वित किया है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता)एफटीए (और अधिमान्य व्यापार एमझौता)पीटीए (के अंतर्गत इन देशों से सामान्य शुल्क दर से कम दर पर इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात की अनुमति है जिसके परिणाम स्वरूप देशो में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की सीमित सुरक्षा मिल रही है। भारत में अन्य बाधाओं में अपर्याप्त अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला तथा लगभग 9. 5% के साथ औसत ऋण दर के वित्त की उच्च कीमत शामिल है जो कि काफी ज्यादा है तथा घरेलू उद्योग की पर्याप्त रूप से ऋण संपाश्वक बनाने में असमर्थ है।

जबकि सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण के संवर्धन हेतु पहले से ही कई पहल की है जिसमें अन्य बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019की शुरूआत ,इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 100प्रतिशत एफडीआई , पूंजीगत पहलुओं पर मूल सीमा शुल्क) बीसीडी (में छूट ,तर्कसंगत शुल्क आदेश , जनक्रय आदेश और जैसे एमएसआईपीएस ,ईएमसी ,इंडीएफ और पीएमपी जैसी योजनाएं आदि हैं। स्वेदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है जिसमें सरकारी स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। अत :समिति सिफारिश कहती है कि सरकार आईटीए 1- जैसे समझौते के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं को हो रही चुनौतियों को हल करने के तरीको पर ध्यान दे जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों को बिना किसी शुल्क के आयात करने की अनुमति दे। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे बहुस्तरीय समझौतों पर संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके पुन:विचार की आवश्यकता है। समिति को बताया गया है कि मंत्रालय ने इस बारे में वाणिज्य विभाग और वित्त मंत्रालय से चर्चा की है। उन्होंने इस मामले को अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ भी उठाया है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इस संबंध में एक अनूकूल नीति के लिए समयबद्ध ढंग से परामर्श प्रक्रिया जल्द ही पूरी करे तथा इसके परिणामों से समिति को अवगत कराये। इसके अलावा ,अवसंरचना विकास और इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर निर्माताओं को कम कीमत/प्रमाण पत्र मुक्त क्रेडिट हेतु योजनाएं प्राथमिकता के अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के संवर्धन हेतु मंत्रालय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

"इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के लिए टैरिफ संरचना का युक्तिकरण एक निरंतर चलने वाला कार्य है। एमईआईटीवाई की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व विभाग)डीओआर) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. बीसीडी को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)पीसीबी(, सेलुलर मोबाइल फोन के चार्जर, डिस्प्ले पैनल, आदि के विषय

में उपयोग करने के लिए अध्याय 82, 84, 85 और 90 के तहत वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति में, उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से आने वाले निर्दिष्ट पूंजीगत सामान पर छूट दी गई है।

ii. एचएस 85219090 के तहत आने वाले डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर)डीवीआर/(नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर)एनवीआर (पर बीसीडी और एचएस 852580 के तहत आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा टैरिफ दर को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया गया है।

iii. एचएस 85219090 के तहत आने वाले डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर)डीवीआर/(नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर)एनवीआर (के चार्जर या एडॉप्टर)एचएस 850440 के तहत आने वाले(और एचएस 852580 के तहत आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा पर 15% बीसीडी लगाया गया है।

iv. पैनल एलसीडी/एलईडी टीवी के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओपन सेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी)बीसीडी (को सितंबर 2020 तक सीमा शुल्क दिनांक 17.09.2019 की अधिसूचना संख्या 30/2019 के जरिये %5 से घटाकर शून्य कर दिया गया है ।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई की सिफारिशों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट 2020-21 में टैरिफ युक्तिकरण का पालन किया गया है:

क .सेलुलर मोबाइल फोन)एचएस 85177010) के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली)पीसीबीए) पर बीसीडी को 01.04.2020 से टैरिफ दर में वृद्धि के साथ 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

ख .01.04.2020 के प्रभाव से सेल्युलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में वाइब्रेटर मोटर/रिंगर के उपयोग पर 10% बीसीडी लगाया गया है।

ग .बीसीडी को माइक्रोफोन के विनिर्दिष्ट भागों पर वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के अधीन छूट दी गई है)एचएस 85181000 के तहत कवर (अर्थात)i) माइक्रोफोन कार्ट्रिज; (ii) माइक्रोफोन धारक; (iii) माइक्रोफोन ग्रिल; और)iv) माइक्रोफोन बॉडी ।

घ .एचएस 850440 के तहत आने वाले बीसीडी पर चार्जर या पॉवर एडॉप्टर)सूचना प्रौद्योगिकी सहमति-1 में शामिल को छोड़कर (को एचएस 850440 के तहत शामिल मदों पर टैरिफ दर शून्य/10%/15% से 20% को बढ़ाकर 10%/15% से 20% बढ़ा दिया गया है।

" इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल)अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता (आदेश, 2012"

विश्व व्यापार संगठन के नियम में, टैरिफ बाधाओं का उपयोग गैर-टैरिफ जैसे तकनीकी विनियम)टीआर (बाधाओं के पक्ष में गिरावट का रुझान दिखा रहा है, जो आयातों को गुणात्मक रूप से विनियमित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। भारत में अपेक्षाकृत उच्च टैरिफ है लेकिन तुलनात्मक रूप से टीआरएस की तुलना में कम संख्या में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं।

भारत में विनियामक अंतर को भरने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)एमईआईटीवाई) ने अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करते हुए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल)अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता (आदेश, 2012" को अधिसूचित किया है। वर्तमान में, 56 उत्पाद श्रेणियों को आदेश की अनुसूची के तहत अधिसूचित किया गया है और आदेश 44 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है। योजना के अनुसार, बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पादों के परीक्षण के आधार पर, विनिर्माण को भारतीय मानक ब्यूरो)बीआईएस (से अधिसूचित उत्पाद श्रेणियों के लिए पंजीकरण प्राप्त करना होता है। निर्माता को भारत में स्टॉक, बिक्री, आयात, निर्माण आदि से पहले पंजीकरण प्राप्त करना होता है।

प्राप्त किए गए परिणाम इस प्रकार हैं:

क .नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

ख .भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उत्पाद

ग. उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वैश्विक मानकों

और माल के साथ बढ़ता है

घ .भारत में असुरक्षित उत्पादों का निर्यात करने वाले व्यापारियों/विनिर्माताओं के लिए निवारक और निर्माता/व्यापारी जिम्मेदार बन जाते हैं। अनिवार्य पंजीकरण योजना के परिणामस्वरूप भारतीय सुरक्षा मानकों के लिए अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उच्च अनुपालन हुआ है और बीआईएस द्वारा लगभग 1,00,000 उत्पाद मॉडल/श्रृंखला को कवर करने वाली विनिर्माण इकाइयों को 22,000 से अधिक पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए) सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापार पर मंत्रिस्तरीय घोषणा में संपन्न एक बहुपक्षीय समझौता है और इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों द्वारा लागू किया गया है । इसे गैट)जीएटीटी (1994 या एक्सेस के प्रोटोकॉलके लिए मारकेश प्रोटोकॉल के संलग्न देशों की रियायतों की डब्ल्यूटीओ अनुसूची में संशोधन करके विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को जोड़कर लागू किया गया है। यह डब्ल्यूटीओ और गैट के तहत दायित्व देशों द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए लागू होता है ।

आईटीए समझौते में कोई निकास खंड नहीं है। गैट)जीएटीटी (की धारा 2 अनुच्छेद XV में बताया गया है कि 'एक बहुपक्षीय व्यापार समझौते से निकासी उस समझौते के प्रावधानों द्वारा शासित होगी'। गैट)जीएटीटी (के अनुच्छेद XXVIII के तहत एक रियायत के संशोधन या निकासी से निपटा जाता है ।

वाणिज्य विभाग व्यापार समझौतों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है। दिनांक 02.06.2020 को आयोजित एक बैठक में, वाणिज्य विभाग ने बताया कि इस स्तर पर आईटीए समझौते से वापसी संभव नहीं है और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)एमईआईटीवाई) देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएं लेकर आई हैं।"

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 10 देखें)

चीन से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात

(सिफारिश क्रम सं. 14)

समिति नोट करती है कि चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी सामान का आयात वर्ष 16-2015में 55% ,वर्ष 17-2016में 57% ,वर्ष 18-2017में 60% हुआ जो वर्ष 19-2018में कम होकर के 39% हो गया। वर्तमान में देश में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात का लगभग 37% चीन से है। ये आयात ज्यादातर घटकों के रूप में प्रकृति का है जो सब-असेम्बली तथा अंतिम उत्पादों का विनिर्माण करता है। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण ऐसे घटकों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ने की संभावना है । तथापि यह प्रभाव कोरोना वायरस के प्रसार/अधिक प्रसार पर निर्भर करेगा। वर्तमान में औद्योगिक संबंधों और प्रमुख विनिर्माणी कंपनियों से यह सुनिश्चित किया गया कि अगले कुछ सप्ताह तक माल-सूची उपलब्ध रहे। अन्य देशों से ऐसे घटकों के आयात के स्रोतों की तलाश करने के उपाय भी किये जा रहे हैं। उद्योग संबंधों को सलाह दी गयी है कि वे ऐसे अवसरों की तलाश के लिए क्रेताओ-विक्रेताओ की बैठक आयोजित करें। मध्यम और दीर्घकालीन के परिप्रेक्ष्य में , पीएलआई ,एसपीईसीएस ,एमसीएस ,जैसी योजनाओं के माध्यम से उचित प्रोत्साहन देते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिकी घटक की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए तथा भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र में किसी विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यद्यपि भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिकी सामान मांग के प्रतिशत के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी सामान के आयत में गिरावट दर्ज हो रही है फिर भी समिति महसूस करती है कि वर्तमान स्तर पर भी

चीन से इलेक्ट्रॉनिकी सामान आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। एक ही देश पर इलेक्ट्रॉनिकी सामान के स्रोत हेतु इतनी ज्यादा निर्भरता चिंता का विषय है। अत : समिति सिफारिश करती है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर लघु से मध्यम अवधि के प्रभाव तथा दीर्घ अवधि में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर ,आयात के स्रोतों को बढ़ाने हेतु किये गये उपायों की समीक्षा की जाए जबकि उसी समय पर एकल बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वेदेशी उत्पादन में वृद्धि की जाए ताकि चीन में कोरोना वारयस के जैसे प्रकोप कोई भी अचानक/अप्रत्याशित/अपेपक्षित घटना से भारतीय बाजार में सामानों की भारी कमी न हो।

सरकार का उत्तर

समिति ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के छोटे से मध्यम प्रभाव और बाद में पूरी दुनिया में फैलने से एक महामारी की स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

इस संबंध में, यह अवगत कराया जाता है कि कोरोना महामारी के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वर्ष के शुरुआती दौर में चीन में वायरस का प्रकोप काफी हद तक चीन पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के रूप में प्रकट हुआ। जनवरी और फरवरी के महीने में इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं के आविष्कारों में कमी आई, जो कि उद्योग के अनुमान के अनुसार 40% तक था, जिसके कारण उत्पादन में भी कमी आई। भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में वायरस फैल गया और 25 मार्च, 2020 को एक देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दी गई। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सहित सभी उत्पादन गतिविधियों में पूरी तरह से रुकावट आ गई, कुछ कंपनियां ही अपवाद स्वरूप वेंटिलेटर जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का विनिर्माण कर रही थीं।

लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान, उद्योग के साथ उनकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अन्य परिचालन मुद्दों की स्थिति की जांच करने के लिए व्यापक

बातचीत की गई। उद्योग के फीडबैक के आधार पर सिफारिशों को गृह मंत्रालय)एमएचए) को भेजा गया। एमएचए ने आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (क) दिनांक 15 तारीख, 2020 जारी किया, जिसमें देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों /विभागों, राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों, जहां बीमारी प्रसार नियंत्रण में था, में "आईटी हार्डवेयर विनिर्माण "से संबंधित गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करना शामिल था। इस तरह के निर्देशों के आधार पर, 20% से 30% इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिचालन को संबंधित राज्य और स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन लेने और मंत्रालय द्वारा उद्योग निकायों के परामर्श से विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं)एसओपी (के अनुसार सुरक्षा और अन्य एहतियाती उपायों का अवलोकन करके फिर से शुरू किया जा सकता है। इन एसओपी को सामाजिक और भौतिक दूरी संबंधी मानदंडों, कर्मियों के प्रवेश और निकास के विनियमन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, परिवहन प्रबंधन, कैंटीन संचालन, कीटाणुशोधन संचालन, जागरूकता पैदा करने आदि जैसे पहलुओं को शामिल करने के लिए बनाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य निवारक और रोकथाम संबंधी उपायों को अपनाने के साथ-साथ प्रचालन फिर से शुरू करना और आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण पहल शुरू करना है।

कोविड-19 से संबंधित स्थिति अभी भी एक प्रक्रियाधीन स्थिति है और राज्यों के साथ-साथ उद्योग हितधारकों के साथ विनिर्माण संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। इस परिदृश्य में, जब उत्पादन न केवल एहतियाती उपायों से बाधित होता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति दोनों के कारण संघटकों कमी हो रही है, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए निर्यात बाजार में अपना योगदान करने वाले कई देश अभी भी लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में हैं।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि दीर्घावधि में, एक ही समय में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर आयात के स्रोतों

को व्यापक आधार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं ताकि किसी एकल बाजार /भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके और कोई भी अचानक / अप्रत्याशित घटना जैसे चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से भारतीय बाजार में इन्वेंट्री की बड़े पैमाने पर कोई कमी न हो। इस संबंध में, यह अवगत कराया जाता है कि एमईआईटीवाई ने हाल ही में तीन नई योजनाएं अधिसूचित की है। इसके अलावा, भारतीय दूतावासों, उद्योग संघों और स्थानीय उद्योग के साथ समन्वय से वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उपरोक्त नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए दूतावासों, मिशनों, निवेश भारत और संगठनों के सहयोग से वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, जापान, कोरिया और वियतनाम से बड़ी मात्रा में घरेलू विनिर्माण के बड़े हिस्से के साथ देश के आयात पोर्टफोलियो के विविधीकरण की उम्मीद की जाती है।

श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघों, मंडलों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, ताकि कोविड 19-के कारण फैक्ट्रियों की कार्यप्रणाली, संभारिकी, निर्यात, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और मांग घटने जैसे मुद्दों पर उद्योगों के साथ चर्चा की जा सके।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 13 देखें)

साइबर सुरक्षा परियोजना)एनसीसीसी एवं अन्य (

(सिफारिश क्रम सं. 15)

समिति नोट करती है कि साइबर स्पेस नागरिकों ,सिविल सोसायटी ,

व्यापार और सरकार के लिए संचार और सूचना के प्रसारण का एक सामान्य माध्यम है। साइबर सुरक्षा परियोजना)एनसीसीसी एवं अन्य (उद्देश्य देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए एक समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना है। समिति नोट करती है कि इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 20-2019में बजट अनुमान 120करोड़ रूपये था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 102.00करोड़ रूपये कर दिया गया तथा 31जनवरी 2020तक वास्तविक उपयोग 58.60करोड़ रूपये था। 21-2020में 400.00करोड़ रूपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में बजट अनुमान चरण में 170करोड़ रूपये आवंटित किये गये। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा के खतरों के वास्तविक समय में मैक्रो स्कोपिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र)एनसीसीसी (की स्थापना का प्रस्ताव किया है। एनसीसीसी की स्थापना हेतु परियोजना का अनुमोदन 770करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ 5वर्ष के लिए किया गया था तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद अप्रैल 2015में इसकी शुरूआत की गयी थी। तथापि, एनसीसीसी परियोजना के लिए बजट आवंटन केवल वित्त वर्ष 18-2017में किया गया था। एनसीसीसी का चरण 1-जुलाई 2017में शुरू हो गया था। इस चरण में 20साइटों की आईएसपी और संगठनों के मेटाडाटा का संग्रहण और विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष 2020-2019के दौरान चरण-II स्टेज 1को शुरू करने का उद्देश्य अतिरिक्त 15दूरदराज की साइटों से मेटाडाटा संरक्षण और विश्लेषण करना है। वर्ष 2016में कुल 65पदों 60)एसएण्डटी और 5गैर-एसएण्डटी (की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से 26पदों 23)एसएण्डटी और 3गैर-एसएण्डटी (को भरा गया तथा शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सीईआरटी-इन वर्तमान में परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। एनसीसीसी चरण-II का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। वर्तमान में कार्यालय स्थल का नवीनीकरण चल रहा है। एनसीसीसी के लिए प्राथमिक के साथ-साथ आपदा वसूली स्थल के लिए डाटा सेंटर कलेक्शन सेवाएं किराए पर ली जाएंगी । अगले वर्ष मुख्य रूप से आईटी ढांचागत वस्तुओं)हार्डवेयर ,सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग (की खरीद के लिए और चालीस साइटों की जरूरतें पूरा करने हेतु डाटा सेंटर कलेक्शन सेवा सहित स्थान के लिए बजट की आवश्यकता होगी।

समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एनसीसीसी की स्थापना के लिए जो परियोजना अप्रैल 2015 में 5 वर्षों की अवधि में 770 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी, केवल वित्त वर्ष 2017-18 से बजट आवंटन प्राप्त करने के लिए शुरू हुई और पांच वर्ष की अवधि के दौरान परियोजना का वास्तविक आवंटन 105 करोड़ रुपये किया गया है जो कि अनुमोदित कार्य का केवल 13.63% है। 2016 में स्वीकृत 65 पदों में से अब तक मात्र 26 पद ही भरे जा सके हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साइबर सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है तथा इस पर पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है, एनसीसीसी की एक अग्रसक्रिय एजेंसी के रूप में स्थापना से संबंधित साइबर स्पेस से जुडे मुद्दों से निपटने के लिए मंत्रालय का लापरवाहीपूर्ण रवैया काफी निराशाजनक है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों को प्रस्तुत किया जाए तथा जिम्मेदारी भी तय की जाए। समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराया जाए तथा शेष पदों को समय से भरा जाए जिससे एनसीसीसी की स्थापना बिना किसी और विलम्ब से की जा सके तथा समिति को इस संबंध में की गयी प्रगति से अवगत कराया जाए।

समिति ने मीडिया में आई खबरों और व्यक्तियों की शिकायतों के बारे में चिंता व्यक्त की कि उनके टेलीफोन अत्याधुनिक पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हैक किए गए हैं । इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करने के बावजूद, समिति सरकार से इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई कि यह किसी अधिकृत निगरानी का परिणाम है । इन परिस्थितियों में समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सतर्कता बरतने का आग्रह करे कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की अनधिकृत निगरानी की अनुमति न दी जाए।

सरकार का उत्तर

प्राय :वित्त मंत्रालय पिछले वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान को 5-7% तक बढ़ाने की नीति पर अडिग है । यह नोट किया जाएं कि योजनावार आवंटन मंत्रालय स्तर पर प्रतिबद्ध/परिचालनरत व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता है और फिर परियोजनाओं की प्राथमिकता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुदेश आदि के आधार पर

डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम के तहत शेष निधियों को योजनाओं के बीच वितरित किया जाता है । एमईआईटीवाई हमेशा इस तरह से योजनाओं के शेष निधि आवंटित करने की कोशिश करता है ताकि योजनाओं/परियोजनाओं को कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ कार्यन्वित किया जाता रहे। मौजूदा वर्ष में, कोविड 19- महामारी की मौजूदा परिदृश्य की वजह से वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.04.2020के कार्यालय ज्ञापन के जरिए योजनाओं/परियोजनाओं के तहत व्यय पर और अधिक कठोर वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यद्यपि अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से अथवा संशोधित अनुमान)आरई 21-2020 (चरण पर अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने की संभावना नहीं है, एमईआईटीवाई परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने अथवा निधियों के पुनर्विनियोजन की संभावनाएं तलाश करेगा और अनुदानों के लिए पूरक मांगों अथवा)आरई-2020 (21के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने पर वित्त मंत्रालय के साथ भी मामले को उठाएगा ।

इसके आगे यह निर्दिष्ट किया गया है कि वर्ष 2016 में एनसीसीसी के लिए कुल स्वीकृत किए गए 65 एसएंडटी और गैर-एसएंडटी पदों में से, कुल 01 वैज्ञानिक 'ई', 23 वैज्ञानिक 'बी' और 03 गैर-एसएंडटी हेतु पदों को भरा गया था, इनमें से 01 वैज्ञानिक 'बी' ने वर्ष 2019 में इस्तीफा दे दिया है। 10 वैज्ञानिक 'डी' और 20 वैज्ञानिक 'सी' पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी मानदंडों के अनुसार अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण और पृष्ठभूमिक सुरक्षा सत्यापन को पूरा करने के बाद जनशक्ति को जल्द ही भर्ती किए जाने की संभावना है। शेष रिक्त पदों के लिए जनशक्ति की भर्ती प्रक्रिया अग्रिम अवस्था में है।

अनधिकृत निगरानी के संबंध यह कहा गया है कि संबंधित विषय गृह मंत्रालय के दायरे में है। यद्पि, सूचना प्रौद्योगिकी)आईटी (अधिनियम सरकार को कड़ी जांच पड़ताल और संतुलन हेतु कानूनी विषयो के ढांचे के तहत निगरानी करने के लिए अधिकृत करता है। आईटी अधिनियम की धारा 69 इससे संबंधित

है। कानून के तहत किसी भी अनधिकृत निगरानी की अनुमति नहीं है।"

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 16 देखें)

पीएमजी दिशा

(सिफारिश क्रम सं.16)

समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि सरकार ने फरवरी 2017में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)पीएमजी दिशा (नाम से 31मार्च 2019तक ग्रामीण भारत में 6करोड़ ग्रामीण घरों)एक व्यक्ति प्रति घर (में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी थी। तथापि 31दिसंबर 2019को पीएमजी दिशा योजना के तहत कुल 3.19करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया ,जिसमें से मात्र 2.56करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा इसमें से 1.88करोड़ लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया। स्वीकृति के समय इस योजना से आशा की गयी थी कि पीएमजी दिशा योजना दो वर्ष के समय में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करेगी। तथापि लगभग तीन वर्ष के पूर्ण होने के बाद योजना 2.56करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रबंध कर पायी है जो निर्धारित लक्ष्य का 42.66प्रतिशत ही है। प्रत्येक लाभार्थी द्वारा परिणामी मापन अर्हता कम से कम पांच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन यूपीआई)भीम एप सम्मिलित है ,(यूएसएसडी ,पीओएस ,एईपीएस ,कार्ड ,इंटरनेट बैंकिंग शामिल है। उपर्युक्त योजना का कुल परिव्यय लगभग 2351.38करोड़)लगभग (है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

समिति नोट करती है कि योजना के 2वर्ष के समय में 6करोड़ लोगों को कवर करने के लिए कैबिनेट स्वीकृति के बाद भी लगातार कई वर्षों से संसाधनों के अभाव के कारण योजना को कई प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ा तथा

निर्धरित लक्ष्य नहीं मिला सका। वर्ष 21-2020के दौरान पुन 1175.00 :करोड़ रूपये के प्रस्तावित आवंटन में से इसे काफी कम करके 400.00करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ जो कि चिंता का कारण है। समिति यह समझने में असफल रही कि कैसे एक योजना कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भी अपेक्षित आवंटन प्राप्त करने में असफल रही। महत्वपूर्ण पीएमजी दिशा योजना में लक्ष्यों की गैर प्राप्ति पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति महसूस करती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस महत्वपूर्ण योजना को निधियों की कमी के लिए प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा सिफारिश करती है कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निधियों की कमी तथा अन्य चुनौतियों को हल करने के लिए तुरंत उपाय किये जाएं। समिति चाहती है कि पीएमजी दिशा योजना के निधियों के आवंटन के संबंध में मंत्रालय के एमओएफ से सारे पत्राचारों को समिति को प्रस्तुत किया जाए।

सरकार का उत्तर

पीएमजीदिशा योजना के तहत, अब तक कुल 3.60 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया, जिसमें से 2.96 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा जिनमें से 2.16 करोड़ व्यक्ति विधिवत रूप से 3 पार्टी आकलन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 938 करोड़ रु की जारी की गई राशि के साथ यह अनुरूप स्थिति में है।

निधि की अपर्याप्तता के समाधान हेतु मांगी गई निधि के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि प्राय :वित्त मंत्रालय पिछले वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान को 5-7% तक बढ़ाने की नीति पर अडिग है । बीई 2019-20 में योजना का प्रावधान जो 3750.76 करोड़ रु. था, बीई 2020-21 में 3958 करोड़ रु. से लगभग 5.5% बढ़ाया गया है। यह नोट किया जाए कि योजनावार आवंटन मंत्रालय स्तर पर प्रतिबद्ध/परिचालनरत व्यय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता है और फिर परियोजनाओं की प्राथमिकता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुदेश आदि के आधार पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शेष निधियों को योजनाओं के बीच वितरित किया जाता है। एमईआईटीवाई हमेशा इस तरह से योजनाओं के शेष निधि आवंटित करने की

कोशिश करता है ताकि योजनाओं/परियोजनाओं को कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ कार्यान्वित किया जाता रहे। मौजूदा वर्ष में, कोविड 19-महामारी की मौजूदा परिदृश्य की वजह से वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.04.2020के कार्यालय ज्ञापन के जरिए योजनाओं/परियोजनाओं के तहत व्यय पर और अधिक कठोर वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं । यद्यपि अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से अथवा संशोधित अनुमान)आरई 21-2020 (चरण पर अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने की संभावना नहीं है, एमईआईटीवाई परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने अथवा निधियों के पुनर्विनियोजन की संभावनाएं तलाश करेगा और अनुदानों के लिए पूरक मांगों अथवा आरई 21-2020 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने पर वित्त मंत्रालय के साथ भी मामले को उठाएगा।"

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 19 देखें)

अध्याय- पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
4 फरवरी, 2021
15 माघ, 1942 (शक)

डॉ .शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध- दो

पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण ।

(सत्रहवीं लोक सभा)

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है सि. क्र. सं:-. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 और 17

कुल 12

प्रतिशत 70.59

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सि. क्र. सं.:- शून्य

कुल शून्य

प्रतिशत 0.00

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः-

सि. क्र. सं.:- 8, 13, 14, 15 और 16

कुल 05

प्रतिशत 29.41

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैः-

सि. क्र. सं. :- शून्य

कुल शून्य

प्रतिशत 0.00